उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

मंगलवार, 08 फाल्गुन, शक संवत्, 1945

(दिनांक : 27 फरवरी, 2024)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)

2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख"**)

(समय : अपराह्न 12:30 बजे)।

3. वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आय-व्ययक प्रस्तुत करेंगे।

4. निधन के निदेश।

5. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2023 के द्वितीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।

6. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-21 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के समेकित वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-2019 से वर्ष 2022-2023 तक) को सदन के पटल पर रखेंगे।

7. संसदीय कार्य मंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 323(2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के बाईसवें वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक) को सदन के पटल पर रखेंगे।

8. सिंचाई मंत्री, 'बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 की धारा 45 (1) के अधीन राज्य बांध सुरक्षा संगठन, उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष, 2022-23 को सदन के पटल पर रखेंगे।

9. संसदीय कार्य मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (बी) के अधीन 'उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखेंगे।

10. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा -16 (2) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-2022 एवं वर्ष 2022-2023 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे।

11. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 152(2) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (डी0आई0एम0एस0) विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को सदन के पटल पर रखेंगे।

12. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 152(2) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये राज्य विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2023 को सदन के पटल पर रखेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।)

13. सभापति, प्राक्कलन समिति, उत्तराखण्ड की पंचम विधान सभा की वर्ष 2024-25 का प्रथम प्रतिवेदन (वर्ष 2017-21 एवं 2022-23 का ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 से सम्बन्धित) प्रस्तुत करेंगे।

14. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-

(1) उत्तराखण्ड विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) विधेयक, 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 14 सितम्बर, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2023 का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियमन (निरसन) विधेयक, 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2023 का अट्ठारवां अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2023 का उनीसवां अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान (संशोधन) विधेयक, 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2023 का बीसवां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2023 का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम, 1984) (संशोधन) विधेयक, 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2023 का बाईसवां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2023 का तेईसवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2023 का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

(9) वीर माधो सिंह भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2023 का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

(10) उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियमन) विधेयक, 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2023 का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

(11) उत्तराखण्ड निरसन विधेयक, 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2023 का सत्ताईसवां अधिनियम बन गया।

(12) आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 01 जनवरी, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2024 का प्रथम अधिनियम बन गया।

(13) उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 01 जनवरी, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2024 का द्वितीय अधिनियम बन गया।

15. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

16. श्री बृजभूषण गैरोला, सदस्य, विधान सभा "जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत चित्रा विहार नकरौन्दा वार्ड नं0-99 में लगभग 600 मी0 लम्बी नाली का जल निकासी हेतु नाली के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री विक्रम सिंह वंगारी पुत्र स्व0 श्री गंगा सिंह वंगारी, चित्रा विहार नकरौन्दा वार्ड न0-99, नगर निगम देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

17. श्री बृजभूषण गैरोला, सदस्य, विधान सभा "जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत जौलीग्रान्ट कालूवाला में सुन्दर सिंह चौहान के घर से शहीद नरेन्द्र सिंह धमांदा चौक तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में" श्री सुदेश पाल पुत्र श्री अतर सिंह, वार्ड नं0-4 जौलीग्रांट, डोईवाला, देहरादून, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

18. श्री बृजभूषण गैरोला, सदस्य, विधान सभा "जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत लक्ष्मण विहार कॉलोनी हर्रावाला वार्ड नं0-98 में जल निकासी हेतु नाली निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में" श्री दयाल सिंह रावत पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, लक्ष्मण सिंह कॉलोनी हर्रावाला, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

19. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

20. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

21. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

22. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निम्न प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :-

मैं प्रस्ताव करता हूं कि बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तराखण्ड संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 2022 जो कि दिनांक 29 नवम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ तथा दिनांक 30 नवम्बर, 2022 को उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा बिना किसी संशोधन के पारित किया गया, को वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाय।

23. सिंचाई मंत्री उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

24. सिंचाई मंत्री उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करेंगे।

25. संसदीय कार्य मंत्री उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

26. संसदीय कार्य मंत्री उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करेंगे।

27. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

28. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करेंगे।

29. पंचायती राज मंत्री, उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

30. पंचायती राज मंत्री, उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करेंगे।

31. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986) (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

32. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986) (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करेंगे।

33. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

34. संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगेः-

मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-66 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन राज्य द्वारा गठित "राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड" में विधान सभा के तीन मा0 सदस्यों को विधान सभा द्वारा निर्वाचित 'पदेन सदस्य' के रूप में नामित किये जाने हेतु यह सदन मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

35. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य विधान सभा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगेः-

"यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2024 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

श्रीमती सरिता आर्या, सदस्य विधान सभा उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी "ग")

36. दिनांक 29 नवम्बर, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-05 के संबंध में श्रीमती अनुपमा रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में वन गुज्जर जिनकी आजीविका का साधन पशुपालन ही है, उन्हें वनों में पशु चुगान और लौपिंग के परमिट निर्गत किये जाने विषयक सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।

37. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 26 फरवरी, 2024

(हिम चन्द्र पन्त)
उप सचिव (लेखा),
कृते सचिव।

प्रथम सत्र, 2024
का प्रथम मंगलवार

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार, 08 फाल्गुन, शक संवत्, 1945

(दिनांक : 27 फरवरी, 2024)

नत्थी 'क'

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 40 (2) के अन्तर्गत प्रथम सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

श्री महेश जीना 11.01.2023	*1. क्या पंचायतीराज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वी.पी.डी.ओ.) के कुल कितने पद सृजित है तथा सृजित पदों के सापेक्ष आतिथि में कुल कितने पद रिक्त है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की कमी के कारण ग्राम्य विकास योजनाओं की गति धीमी पड़ी है और बी.पी.एल. के साथ अनेकों प्रमाण पत्रों के समय पर न बनने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम्य विकास योजनाओं को विकास की गति देने व ग्रामीणों की समस्या को दूर करने के लिए शीघ्र ही रिक्त पदों पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायतीराज
श्री प्रीतम सिंह पंवार **30.05.2023**	**"एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के आधार पर निरस्त"।** *2. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जनपदवार कौन–कौन से व कुल कितने गांव है, जोकि मोटर मार्ग से जुड़ने से शेष रह गये है ? क्या सरकार बतायेगी की प्रदेश में 05 से 10 किमी0 तक के मोटरमार्ग से जुड़ने को कुल कितने गांव हैं और 01 से 05 किमी0 तक के कुल कितने गांव आतिथि तक शेष हैं ? क्या सरकार द्वारा मोटरमार्गों से गांवों को जोड़ने हेतु कोई दीर्घकालिक अथवा ठोस कार्ययोजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो ऐसे गांवों को कब तक मोटर मार्गों से जोड़ा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

श्री गोपाल सिंह राणा 13.02.2024	*1. क्या पर्यटन मंत्री अवगत है कि जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता में विश्व प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक गुरुनानक देव का गुरुद्वारा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त गुरुद्वारे को धार्मिक पर्यटन के रुप में विकसित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक पर्यटन केन्द्र बनाये जाने की कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यटन
श्री गोपाल सिंह राणा 13.02.2024	*2. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता की उप तहसील नानकमत्ता के अन्तर्गत नानक सागर डैम को पर्यटन केन्द्र के रुप में विकसित किये जाने की कोई योजना है ? क्या सरकार उक्त डैम में नौकायन, वाटर स्पोर्ट्स, सौन्दर्यीकरण, हट्स, कैंटीन, रैस्टोरेन्ट आदि के निर्माण की कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक उक्त डैम को पर्यटन केन्द्र बनाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यटन
श्री गोपाल सिंह राणा 13.02.2024	*3. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर के नानकसागर डैम से उप-तहसील नानकमत्ता एवं तहसील खटीमा की कितनी भूमि को सिंचित किया जाता है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उप-तहसील नानकमत्ता तथा तहसील खटीमा की और कितनी भूमि के सिंचाई क्षेत्रफल को उक्त डैम से सिंचाई हेतु बढ़ाया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
	"विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त"।	
श्री खजान दास 13.02.2024	*4. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड प्रदेश में सड़कों के नव निर्माण/विस्तारीकरण हेतु वन विभाग से समय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न होने के कारण राज्य गठन से पूर्व से स्वीकृत कुल कितने मार्गों पर कार्य प्रारम्भ नही हो पा रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के कई बीहड़ गांवों में सड़कों की स्वीकृति के उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है ? क्या सरकार प्रदेश में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न होने से सड़कों के निर्माण में हो रही देरी के निदान हेतु कोई ठोस नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण

श्रीमती ममता राकेश
13.02.2024

"एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के आधार पर निरस्त"।

*5. क्या निर्वाचन मंत्री अवगत हैं कि नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में अध्यक्ष पद हेतु आयु सीमा कम से कम 30 वर्ष रखी गई है जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 21 वर्ष की गई है तथा विधायक एवं सांसद का चुनाव लड़ने हेतु 25 वर्ष की आयु सीमा का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी अध्यक्ष पदों हेतु समान आयु सीमा एवं समान शैक्षिक योग्यता का प्राविधान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? — निर्वाचन

श्री विरेन्द्र कुमार
13.02.2024

*6. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय निधि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़को के अनुरक्षण की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की 05 वर्षों तक होती है ? यदि हां, तो क्या जिला योजना/राज्य योजना द्वारा निर्मित सड़कों के अनुरक्षण हेतु इसी तरह की नीति राज्य के हित में सरकार लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? — लोक निर्माण

इंजी0रवि बहादुर
13.02.2024

*7. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर में सुभाषगढ़ सिंचाई नहर का निर्माण किस योजना के अन्तर्गत किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजना के निर्माण में कुल कितनी धनराशि व्यय हुई तथा योजना का निर्माण कब पूर्ण हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? — सिंचाई

इंजी0रवि बहादुर
13.02.2024

*8. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत सोलानी नदी के दाएं किनारे पर बाढ़ नियन्त्रण कार्य के निर्माण की योजना में मद विचलन कराने हेतु कितना धन व्यय किया गया है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि व्यय की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? — सिंचाई

श्री फुरकान अहमद
13.02.2023

*9. क्या पंचायतीराज मंत्री अवगत हैं कि राज्य के 12 जनपदों में परिवार रजिस्टर की नकल ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त हो रही है ? क्या यह भी सत्य है कि हरिद्वार जनपद अभी भी आनलाईन सुविधा से वंचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार हरिद्वार जनपद में भी परिवार रजिस्टर की नकल ऑनलाईन माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? — पंचायतीराज

श्री आदेश सिंह चौहान 13.02.2024	*10. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र जसपुर के क्षेत्रान्तर्गत हजीरों ग्राम में फीका नदी पर पुल न होने से स्थानीय जनता को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त नदी पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री आदेश सिंह चौहान 13.02.2024	*11. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र जसपुर के अन्तर्गत सड़कें वर्तमान में अत्यधिक जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त सड़कों का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री सुमित हृदयेश 13.02.2024	*12. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र हल्द्वानी के अन्तर्गत कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी है तथा जगह–जगह गड्ढे एवं सड़कों की खुदाई होने के कारण लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे है ? क्या सरकार द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने हेतु कोई प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री खजान दास 14.02.2024	"विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त"। *13. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून के चकराता क्षेत्र सहित वन विभाग द्वारा सैकड़ों वर्षो से प्रदेश के कई क्षेत्रों में स्थानीय ग्रामीणों को उनके पैतृक हक हकूक के रुप में निःशुल्क घास–पत्ती एवं खेती बाड़ी करने हेतु उपयुक्त होने वाले औजारों के लिए लकड़ी व जीर्ण–शीर्ण मकानों की मरम्मत हेतु इमारती लकड़ी (चीड़, देवदार, आदि) रियायती दर पर (पी0डी0) उपलब्ध करायी जाती थी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में भी स्थानीय लोगों एवं ग्रामीणों को यह सुविधा लगातार मिल रही है तथा उक्त सुविधाओं का लाभ राज्य गठन के बाद किन–किन लोगों को दिया गया है ? यदि उक्त सुविधा बन्द कर दी है तो कब और क्यों ? क्या सरकार स्थानीय लोगों के पैतृक हक हकूकों को पुनः बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?	वन

श्रीमती ममता राकेश 14.02.2024	*14. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा सेमी क्रिटिकल जोन जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में नलकूप लगाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, जबकि नाबार्ड की गाइड लाईन सेमी क्रिटिकल जोन में नलकूप स्वीकृत नही करती है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार केन्द्रीय भूजल बोर्ड की गाइड लाईन के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नलकूप का नव निर्माण एवं पुनर्निर्माण स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
डॉ० प्रमोद नैनवाल 14.02.2024	*15. क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि रामनगर–मोहान–बद्रीनाथ तथा भतरौजखान–भिक्यासैण–बद्रीनाथ मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त दोनों मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य कब तक किया जायेगा तथा इन मोटर मार्गों को एन0एच0 मोटर मार्ग में शामिल करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री बृजभूषण गैरोला 14.02.2024	*16. क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि एम.एस.एम.इ. उद्योग की तर्ज पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी तक क्या योजना बनाई गयी है तथा पिछले तीन वर्षों से राज्य में पर्यटन के लिए कितना निवेश किया जा चुका है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार इंटर सब्सिडी को 15 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत, एस.जी.एस.टी. में पांच वर्ष तक की छूट व स्थानीय पहाड़ी वास्तुकला के आधार पर भवन निर्माण करने पर अतिरिक्त अनुदान राशि देने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यटन
श्री बृजभूषण गैरोला 14.02.2024	*17. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत घुडदौड़ी बलमाणा बैण्ड से देव प्रयाग बाजार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ था, लेकिन 20 वर्ष के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है ? क्या यह सत्य है कि इस मोटर मार्ग निर्माण की मांग बलमाणा, कांडा, चमराड़ा, पोखरी, थापली, सैंज, दलमी, गैरोल गांव, गोर्तु, गोबिन्द कोटी, कुलासू के ग्रामीण द्वारा कई वर्षों से की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मोटर मार्ग जो कि लगभग दो किलोमीटर मात्र बनना रह गया है, का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण

श्री बृजभूषण गैरोला 14.02.2024	*18. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत हिम तेंन्दुओं के संरक्षण के लिए क्या–क्या प्रयास किये जा रहे है ? क्या यह सत्य है कि हिम तेंन्दुओं के संरक्षण के लिए जनपद उत्तरकाशी के भैरवघाटी के समीप स्नोलैपर्ड कन्जर्वेशन सेंटर निर्माण की स्वीकृति की गयी थी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि स्नोलैपर्ड कन्जर्वेशन सेंटर निर्माण के लिए कितनी धनराशि की स्वीकृति की गयी थी ? क्या सरकार द्वारा स्नोलैपर्ड कन्जर्वेशन सेंटर के निर्माण का कार्य किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन
श्री सुमित ह्रदयेश 14.02.2024 श्री मोहन सिंह 16.02.2024 श्री महेश जीना 19.02.2024	*19. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से आतिथि तक जंगली जानवरों के आक्रमण से कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिन लोगों को जंगली जानवरों ने घायल किया एवं जिनकी मृत्यु हुई है, उनको मुआवजा देने की क्या प्रकिया है ? क्या सरकार द्वारा घायल/मृतक के परिवारजनों को मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन
श्री दुर्गेश्वर लाल 15.02.2024	*20. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोविंद वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में निवासरत लोगों के हक–हकूक उनके सर्वागीण विकास एवं आर्थिक उन्नति के लिए क्या–क्या कदम उठाये गये है ? क्या मंत्री जी अवगत हैं कि वन्य जीव अधिनियम 1972 की बंदिशों से लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि वन विभाग का जो भी नियम या गाईडलाईन बनती है, वह सभी 6 राष्ट्रीय उद्यान व 7 वन्यजीव अभ्यारण के लिए समान बनती है जबकि अन्य राष्ट्रीय पार्क व वन्यजीव अभ्यारण की स्थिति भिन्न है, वहा कोई भी आबादी निवास नहीं करती है, जबकि गोबिन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क में 42 गांव निवास करते है ? क्या सरकार इन गांवों के अवस्थापना सुविधाओं के विकास, निवासरत लोगों के हक–हकूक तथा आर्थिक उन्नति के लिए कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन

अतारांकित प्रश्न

श्री गोपाल सिंह राणा 13.02.2024	1. क्या सिंचाई मंत्री अवगत है कि जनपद ऊधमसिंहनगर के तहसील खटीमा में बहने वाली दोहा पोषक नहर, जो मुख्य शारदा नहर से लालकोठी से चकरपुर सुजिया पेहनिया से होते हुए परवीन नदी में डाली गयी, जो वर्तमान में बंद पड़ी है ? क्या यह सत्य है कि सफाई न होने से उक्त नहर में घास उग आयी है व गहरे कुण्ड बन गये है तथा नहर में मगरमच्छ पैदा होने से स्थानीय लोगों में भय बना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त नहर की सफाई अथवा मरम्मत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
डॉ0प्रमोद नैनवाल 13.02.2024	2. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में बाघ एवं तेन्दुएं का लगातार आतंक बना हुआ है ? क्या यह सत्य है कि वन्य जीवों के आतंक से क्षेत्रीय निवासियों में दशहत का माहौल है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार इन आदमखोर तेन्दुओं एवं बाघों को पकड़ने हेतु पिंजरे लगाने के मानकों में शिथिलता प्रदान करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन
श्री खजान दास 13.02.2024	3. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत राजपुर रोड़ विधान सभा क्षेत्र में राज्य योजना के तहत शहर के डालनवाला क्षेत्र में बलबीर रोड, मोहिनी रोड, प्रीतम रोड, सर्कुलर रोड एवं लक्ष्मी रोड में रिसाईकलिंग से बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण का कार्य किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा रु0 332.99 लाख का आगणन वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया था, किन्तु आतिथि तक भी उक्त कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि उक्त कार्य न होने के कारण जनमानस को आवागमन में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार जनहित में राज्य योजना के तहत शहर के डालनवाला क्षेत्र के उपरोक्त मार्गो में रिसाईकलिंग से बी0सी0 द्वारा मार्ग सुधारीकरण का कार्य को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण

श्री खजान दास 13.02.2024	4. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून के राजपुर रोड विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के तहत करनपुर क्षेत्र के गुरुद्वारा रोड, सेवक आश्रम रोड, अम्बेडकर मार्ग, आबकारी मार्ग, पाईन हॉल स्कूल वाली गली, आंतरिक मार्गो में क्षतिग्रस्त नालियों का निर्माण एवं स्लैब कवरिंग का कार्य किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा रू0 422.86 लाख का आगणन वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया था, किन्तु आतिथि तक उक्त कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत है कि उक्त कार्य को स्वीकृति प्रदान न होने के कारण जनमानस को आवागमन में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार जनहित मे राज्य योजना के तहत करनपुर क्षेत्र के उपरोक्त मार्गो तथा क्षतिग्रस्त नालियों का निर्माण एवं स्लैब कवरिंग का कार्य किये जाने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री खजान दास 13.02.2024	5. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के राजपुर रोड विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चन्दर नगर नाले का भूमिगत किये जाने की मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी तथा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–30/20 के अनुरुप सिंचाई विभाग द्वारा रू0 394.12 लाख का आंगणन वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया था किन्तु आतिथि तक भी चन्दर नगर नाले के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी है? क्या मंत्री जी यह भी अवगत है कि चन्दर नगर में खुले में बह रहे नाले से लोगों का जीना दुभर हो रखा है तथा आये दिन जनमानस को जहां एक ओर संक्रामक रोगों का खतरा बना रहता है वही दूसरी ओर लोगों के घरों में पानी आने के डर से दशहत का माहौल है? क्या सरकार जनहित में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरुप राजपुर रोड़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत चन्दरनगर नाले के निर्माण को स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?	सिंचाई
श्री खजान दास 13.02.2024	6. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के राजपुर रोड़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तार्गत मन्नुगंज नाले के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा संख्या–208, दिनांक 25 मार्च 2022 को स्वीकृति प्रदान की गयी थी, किन्तु अब तक भी मन्नुगंज नाले के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी नही की गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत है कि मन्नुगंज में खुले में बह रहे नाले से लोगों का जीना दुभर हो रखा है तथा आये दिन जनमानस को जहां एक ओर संक्रामक रोगों का खतरा बना रहता है वही दूसरी ओर लोगों को घरों में पानी आने के डर से दहशत का माहौल है ? क्या सरकार जनहित में मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरुप राजपुर रोड विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मन्नुगंज नाले के निर्माण को स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?	सिंचाई

श्रीमती अनुपमा रावत 13.02.2024	7. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में सिंचाई हेतु सिंचाई के पीक समय पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सिंचाई नहरों में पानी न छोड़ने के कारण प्रदेश के किसानों को काफी कठिनाई हो रही है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के हरिद्वार ग्रामीण अंचल में स्थित सिंचाई उप नहरों में मुख्य नहर से पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित को दृष्टिगत रखते हुए इस समस्या का निराकरण करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्रीमती अनुपमा रावत 13.02.2024	8. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में प्रत्येक विधायकों से 10 सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव मांगे गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक विधायक के प्रस्ताव को पूर्ण करने जा रही हैं? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्रीमती अनुपमा रावत 13.02.2024	9. क्या पंचायतीराज मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत गांवो में ग्रामीण नाली निकास की स्थिति दयनीय होने के कारण हमेशा जल भराव की स्थिति बनी रहती है ? क्या यह सत्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नाली निर्माण की कोई योजना हरिद्वार में संचालित की जा रही है तथा पानी भराव की समस्या के निदान के लिए कोई कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस पर पिछले वर्ष विधानसभा वार कितना धन व्यय किया गया और आगामी वर्ष के लिये क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायतीराज
श्रीमती अनुपमा रावत 13.02.2024	10. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि सरकार द्वारा प्रदेश की सड़कों में हो रहे गड्ढों की जनता से जानकारी पाने हेतु एक मोबाइल एप को जारी किया गया है ? यदि हां, तो उक्त एप पर वर्तमान तिथि तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है एवं सरकार द्वारा कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
इंजी०रवि बहादुर 13.02.2024	11. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर में कुम्भ निधि के अन्तर्गत निर्माणाधीन धनौरी सिडकुल मार्ग जो कि बहादराबाद पुरानी गंगनहर की दाएं पटरी पर 10 किमी० लम्बी दो लेन चौड़ी सड़क स्वीकृत थी? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त सड़क के निर्माण में कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा इस सड़क के निर्माण का उद्देश्य क्या है ?	सिंचाई

श्री खुशाल सिंह अधिकारी 13.02.2024	12. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खुतेली के खाल तोक कालीछीना हरैड़ी तक 3.5 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण न होने के कारण उक्त क्षेत्र के निवासियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त 3.5 किमी0 मार्ग का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री खुशाल सिंह अधिकारी 13.02.2024	13. क्या लोक निर्माण मंत्री के संज्ञान में है कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चामी, ब्लाक बाराकोट से लीतू काकड़ी मार्ग का 10–12 वर्षो से डामरीकरण न होने के कारण क्षेत्र की जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण शीघ्र करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री खुशाल सिंह अधिकारी 13.02.2024	14. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत विकास खण्ड पाटी के ग्राम विनवाल गांव से कलियाधूरा छीड़ाखान तक 15 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य का शासनादेश 24.03.2008 को हो चुका है ? क्या यह सत्य है कि अभी तक मार्ग का निर्माण कार्य नहीं हुआ है ? यदि हां, तो निर्माण के विलम्ब के क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?	लोक निर्माण
श्री खुशाल सिंह अधिकारी 13.02.2024	15. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के विकासखण्ड बाराकोट के ग्राम सुलेड़ा–जमरैड़ी कान्तेश्वर तक 4.5 किलोमीटर मोटर मार्ग के निर्माण कार्य का शासनादेश 2010 में हो चुका है ? यदि हां, तो मार्ग निर्माण के विलम्ब के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री खुशाल सिंह अधिकारी 13.02.2024	16. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र देवली से नौलिया गांव तक 12 किमी0 मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 2011 में शासनादेश हो जाने के पश्चात भी वर्तमान तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो शासनादेश जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य न होने के क्या कारण है ? क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण

श्री सुमित हृदयेश 13.02.2024	17. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र, हल्द्वानी में भारतीय स्टेट बैंक के समीप नहर कवरिंग का कार्य किया जा रहा है, जिस कारण सड़क का स्तर पास की आवासीय कालोनी से 3 फुट ऊंचा हो गया है ? क्या यह सत्य है कि सड़क का स्तर 3 फुट ऊंचा होने के कारण निकट की आवासीय कालोनी के लोगों का जल भराव के कारण आवागमन के साथ जल भराव से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार इस समस्या के निदान हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री सुमित हृदयेश 13.02.2024	18. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र हल्द्वानी में प्रस्तावित चिड़ियाघर में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर दिया गया है ? क्या सरकार द्वारा हल्द्वानी में चिड़ियाघर के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन
श्री खजान दास 14.02.2024 श्री विनोद कण्डारी 21.02.2024 श्री फकीर राम 20.02.2024 श्रीमती शैलारानी रावत 19.02.2024	19. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों द्वारा किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद कर देने से किसानों को पलयान के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ? क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्र में जंगली जानवरों से किसानों के फसलों की सुरक्षा/ जानमाल की सुरक्षा के लिए जानवरों से निजात दिलाने हेतु कोई ठोस नीति बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन
श्री खजान दास 14.02.2024	20. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के शहरों एवं आबादी वाले क्षेत्रों में एवं पर्यटन स्थलों में बन्दरों एवं लगूरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है ? क्या सरकार बन्दरों एवं लंगूरों के आंतक से मुक्ति दिलाने के लिए कोई ठोस नीति बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?	वन
श्रीमती ममता राकेश 14.02.2024	21. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार की नगर पंचायत भगवानपुर के अन्तर्गत ईदगाह एवं श्मशान घाट के मध्य दो तालाबों के चारों तरफ बाढ़ सुरक्षा दीवारों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 03 अगस्त, 2023 को प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो क्या हिन्दु एवं मुस्लिम समुदाय की जनता को अपने मृत परिजनों का अन्तिम संस्कार कराने के लिए फौरी तौर पर क्या उपाय किए गए और कब तक प्रश्नगत तालाबों के चारों तरफ बाढ़ सुरक्षा दीवार का निर्माण करा दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो उसमें क्या कठिनाई है ?	सिंचाई

श्रीमती ममता राकेश 14.02.2024	22. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील कोटद्वार के अन्तर्गत पट्टी सीला के ग्राम गोदी (बड़ी) में विगत दो वर्ष पूर्व बाघ द्वारा एक वर्ष में दो व्यक्तियों को मार दिये जाने के कारण उक्त ग्राम से शत प्रतिशत पलायन हो गया है और ग्राम भूतिया गांव हो गया है ? यदि हां, तो दुगड्डा शहर से मात्र एक किमी0 और बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग से मात्र 500 मीटर दूरी पर स्थित उक्त गांव को वन्य जीवों के आतंक के फलस्वरुप पलायन के दंश से बचाने के प्रयास किये जाएंगे? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?	वन
डॉ0 प्रमोद नैनवाल 14.02.2024	23. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में मन्दिरों एवं पर्यटक स्थलों के विकास हेतु कौन–कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है ? क्या मंत्री जी के संज्ञान में यह भी है कि विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में इन योजनाओं से किन–किन पर्यटन स्थलों एवं मन्दिरों का सौन्दर्यीकरण किया गया है तथा इसमें कितनी धनराशि व्यय की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यटन
डॉ0 प्रमोद नैनवाल 14.02.2024	24. क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को उनके बसावटों के नजदीक पड़ने वाली वन भूमि में आवाजाही के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? क्या यह भी सत्य है कि इनकी बसावटों के आस–पास वन विभाग मार्ग बनाने में लगातार आनाकानी करता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इन बसावटों के आस–पास मार्ग बनाने के नियमों में शिथिलता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन
श्री सुमित हृदयेश 14.02.2024	25. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2017 से आतिथि तक पी0डब्ल्यू0डी0, हल्द्वानी डिवीजन में कितनी धनराशि सड़क निर्माण हेतु अवमुक्त की गई है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि टेण्डरिंग प्रकिया के तहत प्रदेश के कितने ठेकेदारों को रोजगार मिला है? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण

श्री संजय डोभाल 15.02.2024	26. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत यमुनोत्री धाम के पर्यटक स्थल गुलाबी कांठा 3 से 4 किमी0 लम्बा –चौड़ा बुग्याल है ? क्या मंत्री जी अवगत हैं कि बुग्याल में पर्यटकों को अत्यधिक मात्रा में प्रत्येक वर्ष आना जाना लगा रहता है और यह बुग्याल फूलों की घाटी की तरह हर वर्ष मनमोहक फूलों से लदालद रहता है ? क्या यह सत्य है कि दयारा बुग्याल ट्रैक ऑफ द ईयर जो कि विगत् वर्षों में घोषित हो चुका है, उसी की तर्ज पर गुलाबी कांठा बुग्याल को ट्रैक ऑफ द इयर घोषित किये जाने पर सरकार द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है ? यदि हां, तो गुलाबी कांठा बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर कब तक घोषित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यटन
श्री सुरेश गढ़िया 15.02.2024	27. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री जी अवगत हैं जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटैक्निक, कपकोट में भवन के साथ आधुनिक प्रयोगशाला, अनुदेशक व अन्य स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि छात्र हित को देखते हुए राजकीय पॉलीटैक्निक, कपकोट में उक्त मूलभूत सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?	तकनीकी शिक्षा
श्री सुरेश गढ़िया 15.02.2024	28. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में प्रति वर्ष सरयू नदी से स्थानीय लोगों की भूमि का लगातार कटान हो रहा है साथ ही बरसात के समय जल स्तर बढ़ने से स्थानीय लोगों के भवनों को नुकसान होने का खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कपकोट में सरयू नदी से हो रहे भू–कटाव व नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री मोहन सिंह 16.02.2024	29. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत ध्याड़ी सिरगांव से डूना तक (10 किमी0) तथा झालाडूंगा–ब्याली–स्वाड़ी से बगड़ तक (10 किमी0) मोटर मार्गों का निर्माण, लम्बे समय से स्वीकृत होने के उपरान्त भी न होने के क्या कारण है ? क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त मोटर मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?	लोक निर्माण

श्री मोहन सिंह 16.02.2024	30. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर में सिंधिया मल्ला–चिल से तलकोट गुणादित्य तथा बसोली से धूना–दसौला बडयार मोटर मार्गों को जोड़ने वाले पुलों का निर्माण लम्बे समय से स्वीकृत होने के उपरान्त भी निर्माण न होने के क्या कारण है ? क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त पुलों का निर्माण यथाशीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री बृजभूषण गैरोला 16.02.2024	31. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अंतर्गत सौड़ा सरोली में क्षतिग्रस्त आंतरिक मार्गों के निर्माण की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा संख्या 1512/2021 द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणा को मद्देनजर रखते हुए विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सौड़ा सरोली में आंतरिक मार्गों का निर्माण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री बृजभूषण गैरोला 16.02.2024	32. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत कालूवाला, बड़ोवाला में विभिन्न आंतरिक मोटर मार्ग काफी समय से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मोटर मार्गों का सुधारीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री बृजभूषण गैरोला 16.02.2024	33. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि वर्ष 2009 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सुपाणा, धारी सेरा भरदार जनपद रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग निर्माण की घोषणा की गयी थी, जिसकी स्वीकृति शासनादेश संख्या– 1542/III (2)/09–22 (मु0म0घो0)/09, दि0 31.03.2010 द्वारा हो चुकी है ? क्या यह सत्य है कि सुपाणा से धारी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण हो चुका है, लेकिन ग्राम सेरा भरदार तक लगभग 05 किमी0 सड़क निर्माण का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पाया है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री मयूख महर 16.02.2024	34. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत गोरी नदी के किनारे मदकोट से जौलजीबी तक बाढ़ सुरक्षा हेतु तटबन्ध बनाये गये है ? क्या यह सत्य है कि इस नदी के दूसरे किनारे पर जो कि डीडीहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, उस पर कोई तटबन्ध नहीं बनाये गये है ? क्या सरकार दूसरी ओर गोरी नदी के किनारे पर तटबन्ध बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?	सिंचाई

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "ग"

मानवीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	श्री यशपाल आर्य मा0 नेता प्रतिपक्ष	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:- 1. राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था यथा चोरी, डकैती, महिला अपहरण, बलात्कार, हत्या जैसे मामलों में हो रही लगातार बढ़ोत्तरी को रोक जाने, 2. सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोके जाने, 3. राज्य की विभिन्न सेवाओं एवं संवर्गों की भर्ती के समय एस.सी., एस.टी. एवं ओ.बी.सी. वर्गों के लिये संविधान सम्मत आरक्षण का जो प्रतिशत रखा गया है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, उसका पालन किये जाने, 4. राज्य के बेरोजगारों हेतु रोजगार सृजन एवं विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने, 5. राज्य में चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था, पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के चिकित्सालयों में स्पेशलिस्ट डाक्टरों की तैनाती किये जाने, 6. प्रदेश में एस.सी., एस.टी. एवं ओ.बी.सी. के पदों को बैकलॉग से भरे जाने, 7. प्रदेश के पर्वतीय एवं मैदानी जनपदों में सड़कों की बदहाल स्थिति को ठीक करने, 8. पर्वतीय एवं मैदानी जनपदों में स्थित अस्पतालों में चिकित्सक एवं टैक्निशियन के रिक्त पदों को भरने एवं चिकित्सालयों में चिकित्सीय उपकरण स्थापित किये जाने, 9. प्रदेश के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं के सभी रिक्त पदों पर तैनाती किये जाने, 10. राज्य में निरंतर बढ़ रहे कर्ज के बोझ को कम किये जाने। 11. उर्जा प्रदेश में बिजली कटौती को कम किये जाने।

12. प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में भीषण पेयजल संकट को दूर करने,
13. प्रदेश में स्थापित उद्योगों में राज्य के बेरोजगारों युवक-युवतियों को 75 प्रतिषत रोजगार देने हेतु कानून बनाने,
14. प्रदेश में सशक्त भू-कानून बनाये जाने।
15. हिमाचल प्रदेश की भांति उत्तराखण्ड प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल किये जाने,
16. प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ब्लॉक स्तर पर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराये जाने,
17. प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं निर्धन छात्र-छात्राओं हेतु हास्टल निर्मित किये जाने,
18. बाजपुर के अन्तर्गत 20 गांवों के भूमि की समस्या के निदान किये जाने,
19. बाजपुर विधान सभा के अन्तर्गत जी.एन.एम. कॉलेज में कक्षाऐं संचालित न होने के सम्बन्ध में,
20. चीनी मिल बाजपुर स्थित आसवानी के आधुनिकीकरण किये जाने,
21. आदिम जनजाति बुक्सा के विकास हेतु कोई नई योजना लाये जाने,
22. बाजपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने,
23. बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी पालीटेक्निक में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में,
24. विधान सभा क्षेत्र बाजपुर के अन्तर्गत जल जीवन मिशन में व्याप्त अविमितताओं को ठीक किये जाने,
25. चीनी मिल बाजपुर में मृतक आश्रितों को लम्बे समय से नियुक्ति न दिये जाने।

2. श्री प्रीतम सिंह

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. कालसी-सहिया मोटर मार्ग के जजरेड में पुल या टनल का निर्माण किये जाने,
2. प्रदेश में रोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए उत्तराखण्ड राज्य को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित किये जाने,

3. स्वच्छता अभियान के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति का निर्धारण किये जाने,
4. महिलाओं को सुरक्षित रूप से यात्रा, आधी रात में निकलने पर उन्हें कोई भय न हो, इस सम्बन्ध में कोई नीति घोषित किये जाने,
5. रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने,
6. विकसित राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड को खड़ा करने के लिए अवस्थापना विकास का कोई ढांचा बनाये जाने,
7. ग्राम-फनार से ग्राम-भूठ मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
8. ग्राम-किस्तुड मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
9. उत्तराखण्ड की राजधानी के संबंध में कोई ठोस कदम उठाये जाने तथा राजधानी सभा आधुनिकतम व्यवस्थाओं से युक्त हो इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति घोषित किये जाने,
10. चार-धाम यात्रा पूरे वर्ष चलाने, यात्रायें सुरक्षित करने श्रद्धालुओं को सभी तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराने और प्रदेश की आर्थिकी बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने,
11. आपदा के दौरान जो क्षेत्र बर्बाद हुए थे उन्हें पुनः बसाने के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित किये जाने,
12. आपदा के दौरान जो गांव खाली हो चुके हैं उनके पुनर्वास के संबंध में कोई नीति बनाये जाने,
13. नदियों की सफाई, नदियों के किनारे सौन्दर्यीकरण तथा नदियों के समस्त क्षेत्रों का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में कोई नीति बनाये जाने,
14. जो जल स्रोत्र सूख चुके है उनको रिचार्ज करने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने,
15. पत्रकारों को आवासीय सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कोई ठोस नीति बनाये जाने,
16. बी0पी0एल0 वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क एम0आर0आई0 तथा डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराये जाने,

17. विकसित राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड को खड़ा करने के लिए अवस्थापना विकास का कोई ढांचा बनाये जाने,
18. प्रदेश के नये जनपदों के गठन की कार्यवाही तत्काल किये जाने,
19. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत कालसी, साहिया, चकराता एवं त्यूनी के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने,
20. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत बिन्सौण में स्वीकृत आश्रम पद्धति विद्यालय के अधूरे भवन को तत्काल पूर्ण किये जाने,
21. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत त्यूनी-कथियान अधूरे का बी० एम० एच० डी० बी० सी० से डामरीकरण किये जाने,
22. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत इन्टर कालेज मुन्धौल, केराड़, खरोड़ा, बिन्सौण, काण्डोई भरम, ग्यासपुल, कोरूव एवं मुन्धान के भवनों का निर्माण किये जाने,
23. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत साहिया में स्वीकृत पालिटेक्निक में अन्य ट्रेड तत्काल प्रारम्भ किये जाने,
24. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत हवोल-त्यूनी, त्यूनी-आराकोट, त्यूनी-प्लासू जलविद्युत परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से शुरू किये जाने,
25. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत ग्राम कोटी, ईच्छाड़ी में अस्पताल का निर्माण किये जाने,
26. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत लखवाड, पंजीटीलानी, कथियान व कुरोली में स्वीकृत आई०टी०आई० तत्काल इसी सत्र में प्रारम्भ किये जाने,
27. ग्राम-सुनीर मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
28. ग्राम-पुनाह पोखरी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
29. ग्राम-ल्यूना मंगटाड मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
30. ग्राम-निनूस मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
31. ग्राम-पेनुवा मोटर मार्ग का विस्तार किये जाने,
32. ग्राम-मशक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
33. ग्राम-चान्जोई के नीचे टौन्स नदी पर मोटर पुल का निर्माण किये जाने,
34. ग्राम-हिवांई मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

35. मीसस-अटाल मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
36. ककनाई-दौहा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
37. दावापुल मिण्डाल-खारसी मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
38. क्वांसी-जोगियो मोटर मार्ग का डामरीकरण,
39. कथियान-मुन्धाली मोटर मार्ग का निर्माण,
40. डांगुठा-पुरोला मोटर मार्ग का निर्माण,
41. त्यूनी-चांदनी मोटर मार्ग का डामरीकरण,
42. ग्राम-भगवत मोटर मार्ग का निर्माण,
43. ग्राम-थायला-सैंज मोटर मार्ग का निर्माण,
44. लालपुल-बिसोई मोटर मार्ग का डामरीकरण,
45. निथला-बिसोई से रिखाड़ ट्ुंगरा मोटर मार्ग का डामरीकरण।

3. श्रीमती ममता राकेश

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में पूर्व स्वीकृत मेडिकल कालेज के निर्माण के लिए धन आवटंन किये जाने,
2. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में ट्रान्सपोर्ट नगर का निर्माण किये जाने,
3. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में भगवानपुर में महिला पालिटेक्निक खोले जाने,
4. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में भगवानपुर में ग्राम वह वहलपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
5. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर ग्राम चुड़ियाला मोहनपुर में स्थापित बाबू कलीराम राकेश डिग्री कालेज में स्नातकोत्तर की कक्षाओं को संचालित किये जाने,
6. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर में सी0एच0सी0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों की स्थाई रूप में नियुक्ति किये जाने,
7. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में एक स्पोर्ट कालेज व स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
8. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में गौशाला खोले जाने,

9. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंग्नल समस्या को देखते हुए मोबाईल टावर लगाये जाने,

10. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा में स्व0 सुरेन्द्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण के लिए धन आवंटित व अध्यापकों की स्थाई नियुक्ति किये जाने एवं प्रत्येक ग्राम में जिम सेन्टर बनाये जाने,

11. जनपद हरिद्वार के किसानों का बकाया भुगतान किये जाने,

12. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में डाक्टर भीम राव अम्बेडकर, संत श्री रविदास और महर्षि वाल्मिकी पार्कों के सौन्दर्यकरण किये जाने,

13. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति उपयोजना धनराशि स्वीकृत कराये जाने व उसका उपयोग अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में किये जाने,

14. राज्य विधवा महिलाओं का उपचार निःशुल्क किये जाने,

15. राज्य में विधवा महिलाओं के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में आय प्रमाण की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने,

16. राज्य में परित्यक्ता योजना में अनाथ/बेसहारा बच्चे जो विस्तारित कुटुम्ब के साथ रह रहे हैं, अशक्त तथा गम्भीर रोग के ग्रसित सजायाफता माता-पिता की सन्तान, विधवा /तलकाशुदा स्त्री, परित्यकता,कुटुम्ब द्वारा परित्यक्त महिलाओं के बालक/बालिकाओं को आर्थिक सहायता के रूप शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु दो हजार रूप्ये प्रतिमाह में बच्चों के आय मानक समाप्त किये जाने,

17. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में शमशान घाट एवं कब्रिस्तान की बाहरदीवारी तथा प्रत्येक श्मशान घाट में छत्री व कब्रिस्तान में जनाजा कक्ष तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध किये जाने,

18. शमशान घाटों का सौब्दर्यीकरण किये जाने,

19. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में एक वाटर ए0टी0एम0 लगाये जाने,

20. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा के प्रत्येक प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में पर्याप्त भवन, शौचालय बालक व बालिका व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने व चारदीवारी कराया जाय,
21. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के सभी क्षतिग्रस्त मार्गो का पुनर्निर्माण किये जाने,
22. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत भगवानपुर विधान सभा के 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति के ग्रामों का चयन किये जाने,
23. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसानों का बिजली बिल माफ किये जाने,
24. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों व समस्त पुलिया का पुनर्निर्माण बरसात के पहले अतिशीघ्र कराये जाने,
25. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में चिकनगुनियां ,डेंगू एवं मच्छरों से निजात पाने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने,
26. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाने तथा वर्किंग वुमैन के लिए हास्टल का निर्माण कराये जाने,
27. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में योग केन्द्र खोले जाने,
28. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने,
29. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में खेल के मैदान का निर्माण कराये जाने,
30. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में अन्तर्गत तालाबों को सौन्दर्यकरण एवं चारों और रैलिंग की व्यवस्था कराये जाने,
31. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज छापुर शेर अफगानपुर में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने,

32. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में सभी गांव में सरकारी सेवाओं की तैयारियों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेण्टरों की स्थापना किये जाने,
33. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए आने-जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कराये जाने,
34. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि एवं दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त किसानों की फसलों का मुआवजा दिये जाने,
35. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु नलकूपों का निर्माण एवं रिबोर किये जाने,
36. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आन्तरिक मार्गों की मरम्मत एवं जल निकासी के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाये जाने,
37. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इंजीनियरिंग एवं बी0एससी0 के अन्तर्गत जाति अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को लैपटाप उपलब्ध कराये जाने,
38. भगवानपुर ओधौगिक क्षेत्र में महिला हास्टल का निर्माण किये जाने,
39. भगवानपुर में बाबू जग जीवन आवासीय हास्टल का निर्माण किये जाने।

4. श्री आदेश सिंह चौहान

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जसपुर में रोडवेज बस स्टैण्ड की स्थापना किये जाने,
2. नादेही शुगर मिल का नवीनीकरण तथा एथेनाल प्लांट की स्थापना किये जाने,
3. जसपुर में पालिटेक्निक कालेज की स्थापना किये जाने,
4. नगर पालिका जसपुर में स्टेडियम तथा ग्राम करनपुर में मिनी स्टेडियन की स्थापना किये जाने,
5. ग्राम हजीरो में फीका नदी पर पुल का निर्माण किये जाने,
6. तीरथनगर डाम क्षेत्र में राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,

7. ग्राम किशनपुर में फीका नदी का तटबन्ध और ग्राम बैतवाला व बगवाड़ा में ढेला नदी का तटबन्ध बनाये जाने,
8. जसपुर में एन0एच0 से एम0पी0 सिंह नर्सिंग होम के सामने नगर की सड़क का निर्माण किये जाने,
9. जिम कार्बेट पार्क का एक आवागमन द्वारा जसपुर से पमरामपुर रेन्ज खोले जाने,
10. जसपुर में तीरथनगर मंदिर और तुमड़िया डाम का सौन्दर्यीकरण किये जाने,
11. जसपुर विधान सभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण किये जाने,
12. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में अधूरे तहसील भवन को पूर्ण किये जाने,
13. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में उप-जिलाधिकारी भवन निर्माण किया जाय,
14. जसपुर विधान सभा क्षेत्र सरकारी स्कूलों के क्षतिग्रस्त भवनों को निर्माण किये जाने,
15. जसपुर नगर पालिका में सीवर लाईन की व्यवस्था किये जाने,
16. जसपुर नगर पालिका में पेयजल व्यवस्था को ठीक किये जाने व पेयजल व्यवस्था का द्वितीय फेज आरम्भ किये जाने तथा,
17. विधान सभा क्षेत्र जसपुर के ग्राम सीपका वासियों को उनकी कृषि भूमि पर मालिकाना हक दिये जाने,
18. विधासभा क्षेत्र जसपुर में सिविल न्यायालय भवन का निर्माण।

5. श्री भुवन कापड़ी

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. सीमांत विधान सभा में सरकारी भूमि में निवासरत लोगों की पूर्वजों द्वारा मेहनत कर बंजर भूमि को कृषि योग्य एवं आवास योग्य बनाया गया है जिससे उक्त भूमि सदुपयोग हो सकी ऐसे उक्त सरकारी भूमि पर निवासरत/कब्जा धारकों को भूमि मालिकाना हक दिये जाने,

2. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा पुरानी तहसील परिषद में बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जन कल्याण समिति खटीमा को भूमि का आवंटन किया गया था जिसको बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया गया। उक्त भूमि आवंटन पुनः बाबा साहब डा0भीमराव अम्बेडकर जन समिति कल्याण को किये जाने,
3. उत्तराखण्ड की भौगोलिक सीमाओं को अन्दर निवासरत ऐसे परिवार को जो कि उत्तराखण्ड बनाने के समय से स्थायी रूप से निवासरत है। जो जाति प्रमाण पत्र कट आफ डेट में छूट प्रदान कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था तत्काल प्रभावी किये जाने,
4. उत्तराखण्ड में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा गैस सिलेण्डर, पेट्रोल, डीजल पर सबसिटी प्रदान की जाये जाने उत्तराखण्ड के लोगों को कम दामों पर गैस सिलेण्डर, पेट्रोल, डीजल मिल सके,
5. राशन कार्ड आनलाईन होने की दिक्कतों के कारण अनेक परिवारों के पुराने राशन कार्ड आनलाईन नहीं हो पाये हैं, उक्त पुराने राशन कार्ड धारकों को भी खाद्यान उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुचारू किये जाने,
6. 70 खटीमा विधान सभा अनुसूचित जाति/अनु0जन बाहुल्य विधान सभा है और उसके साथ-साथ सीमांत विधान सभा होने के कारण 70 खटीमा में अनुसूचित जन जाति विकास, अनु0जन0जाति विकास एवं बार्डर डवलेपमेन्ट योजन के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था कर विकास कार्यो प्रारम्भ किये जाने,
7. सक्रिय राज्य आन्दोलन कार्यो चिन्हीकरण के दौरान लम्बित 254 आन्दोलन कार्यों को तत्काल परिचय पत्र जारी कर उनको पेंशन की सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने,
8. ग्राम बन्धा-54 को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,
9. अल्पसंख्यक भौगोलिक क्षेत्रों में अल्पसंख्यक कल्याण नीति से विकास कार्य करवाये जाने,
10. महाविद्यालय खटीमा विभिन्न विषयों पर सीटें बढ़ाई जाय एवं महाविद्यालय में पूर्व की भाति प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था को लागू किये जाने जिससे कि गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके,

11. खटीमा विधान सभा के अन्तर्गत सरकारी गेहू तोल केन्द्रों पर तोल प्रारम्भ कार्यवाही करवाई जाने एवं तोल केन्द्रों पर सी0सी0टी0कैमरों की व्यवस्था एवं किसानों की फसल के मूल्य का भुगतान 02 दिन के अन्तर्गत किये जाने,
12. किसानों को गन्ने के बकाया पैसों का तत्काल भुगतान किये जाने,
13. गौशाला के निर्माण तत्काल पूर्ण करवाये जाने जिससे कि किसानों की फसल बर्बाद होने से बच सकें,
14. अघोषित विद्युत कटौती की तत्काल बंद कर बिजली के दामों को कम किये जाने जिससे उत्तराखण्ड में निवासरत लोगों को राहत मिल सके,
15. राजकीय पालीटैक्निक खटीमा विषय की सीटें बढ़ाई जाये,
16. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्ग में पुनः निर्माण/निर्माण कराये जाने,
17. नगरीय क्षेत्र में आबादी के मध्य गुजर रही हाईटेंशन लेनों को मैन रोड़ों पर स्थानान्तरण किये जाने एवं गलियों में छोटा ट्रांसफार्मर लगा कर विद्युत आपूर्ति किये जाने,
18. नगर खटीमा के लीज नवीनीकरण/लीज दाखिल खारिज लीज विरासतन की प्रक्रिया सरलीकरण किया जाय एवं लीज संबंधी समस्त प्रकार के कार्यों उपस्थिति उप जिलाधिकारी स्तर पर की पूर्ण कराई जाये,
19. खटीमा शहर में सीवर लाईन का निर्माण कार्य कराया जाय,
20. राजकीय महाविद्यालय खटीमा में रोजगारपरक विषयों को प्रारम्भ किये जाने,
21. नगरपालिका परिषद खटीमा के अन्तर्गत जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्ग में पुनः निर्माण/निर्माण कराये जाने,
22. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत नलकूपों की स्थापना किये जाने,
23. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत 2000 हैण्ड पम्पों को लगवाये जाने,
24. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत महिलाओं के लिए पालिटैक्निक खोले जाने,
25. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत बाढ़ से बचाव के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर तत्काल कार्य प्रभाव प्रारम्भ करवाये जाने,

26. नगर पालिका परिषद को कुड़ा कलैक्शन के लिए 20 छोटे वाहन उपलब्ध कराये जाने,
27. नगर खटीमा में टचिंग ग्राउण्ड को तत्काल प्रारम्भ कराये जाने,
28. कूड़े के निस्तारण के लिए रिसाईकलिंग प्लान्ट लगाये जाने,
29. खटीमा के गरीब वर्ग के अनु0जाति,/अनु0जनजाति/सामान्य वर्ग/पि0जाति के गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग खोले जाने,
30. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत व खत्तों वन में रहने वाले परिवार का पुर्नवास कर उनके लिए आवास फी शिक्षा व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलवाये जाने,
31. शहर खटीमा में प्रत्येक घर में निशुल्क जल संयोजन दिलवाये जाने,
32. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत मच्छरों के प्रकोप चिकनगुनिया डेंगू मच्छरों से निजात पाने के लिए उचित कार्यवाही किये जाने,
33. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में लम्बित निर्माण कार्य विकास कार्यों को तत्काल पूर्ण करवाये जाने के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष को निर्देशित कर कार्य को तत्काल पूर्ण करने का आदेश किये जाने,
34. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भर जाने,
35. विधान सभा खटीमा के जिला स्तर के विभिन्न कार्यों में प्रत्येक सप्ताह खटीमा में कैम्प लगाकर पूर्ण करवाये जाने,
36. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत दूरस्थ ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में तत्काल ए0एन0एम0 सेन्टर खोले जाने,
37. राज्य में विधवा/वृद्धा/विकलांग पेंशन के लिए आय का मानक 4000 से बढ़ाकर 6000 रुपये किये जाने,
38. विधान सभा खटीमा के स्थित बाढ़ के समय के बढ़ते जलस्तर को रोकने व मिट्टी कटान को राकने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाये जाकर कार्य प्रारम्भ किये जाने,
39. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत स्थित मंदिरों की चार दीवारी एवं मंदिरों में सौन्दर्यीकरण किये जाने,
40. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत सितारगंज रोड़ से जरासू प्रतापपुर जाने वाली मैन रोड का नाम गुरू तेगबहादुर रखे जाने हेतु संबंधित विभाग को कार्यवाही करने के लिए प्रस्ताव मागा जाए। एवं रोड़ का नाम गुरूतेगबहादुर रोड़ रखे जाने,

41. नगर सीमा के अन्दर निवासरत भूतपूर्व सैनिक शहीद उत्तराखण्ड आन्दोलन के परिजन सहित सैनिक राज्य आन्दोलनकारी के परिवार पर लगने वाले गृह कर पूर्णतया समाप्त किये जाने,
42. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत स्थित रा0प्रा0वि0 एवं विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों को रिक्त पद एवं उक्त विद्यालयों में शौचालयों में पीने के लिए स्वच्छ पानी आदि की व्यवस्था कर प्रत्येक विद्यालय में प्राप्त भवनों का निर्माण करवाये जाने,
43. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत गरीब परिवारों का बिजली का बिल माफ किये जाने,
44. नागरिक चिकित्सालय खटीमा में पार्किंग शुल्क समाप्त किये जाने,
45. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत पहैनिया टोल प्लाजा खटीमा के लोगों को टोल फ्री में मुक्त किये जाने,
46. विधान सभा खटीमा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी पर ऋण उपलब्ध कराये जाने,
47. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के नाम पर उनके गांव की रोड़ का नाम उनके नाम पर रखे जाकर उक्त गांव में विशेष कार्ययोजना बनाकर विकास कार्य करवाये जाने,
48. माँ पूर्णागिरी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिये रैन बसेरे का निर्मापण करवाये जाने।
49. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करवाये जाने,
50. वन चेतना मैदान में स्वीकृति स्टेडियम को तत्काल प्रारम्भ किये जाने,
51. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत भारतीय सेना की तैयारी कर रहे युवकों के लिए न्याय पंचायत स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण करवाये जाने,
52. विधान सभा खटीमा में केन्द्रपोषित जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रारम्भ करवाये जाने।

6. श्री हरीश सिंह

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. धापा से सांईपोलो, गिनीबैण्ड से गिनीगांव, जोशा से गांधी नगर, वल्थी से बाता उन डांडा, वमन गांव से सेमली, खुलीबैण्ड से सरमोला, बांसबगड़ से पोरथी, क्वीटी से मोहरम, सेलचामी से जरथी, सेलमाली से एस0सी0 बस्ती दाखिम कुरवा, सेरा से सिलिंग खरतोली, दारमा से आलम, भवानी से घरोड़ी मनकोट, वामी से मेतली कनार, लुमती से मल्ला लुमती, बरमबोगई से पातल, बलवाकोट से पोखरी, बलवाकोट से कांडा, बलवाकोट से थोड़ालेक, गलाती से कटौचिया, दरतेजम से चलदौंग, नारायण आश्रम से पस्ती, सिरदांग से रूंग, नापड़ से नौड़ा सड़कों का निर्माण किये जाने,
2. राजकीय इंटर कालेज डोर, नाचनी, बगीचाबगड़, जोषा, उछेती, विरथी, पद्मपाला, बांसबगड़, मुनस्यारी, खतेड़ा, भैंसकोट के भवन निर्माण किये जाने,
3. बालिका इंटर कालेज, नमजला, धारचूला, बीनाधार के भवन निर्माण किये जाने,
4. इंटर कालेज पय्यापोडी, स्याकुरी, खेत, जयकोट, मातम कैलाश, पंगला, पांगू का भवन निर्माण किये जाने,
5. माध्यमिक विद्यालय दर का निर्माण किये जाने,
6. जूनियर हाईस्कूल नामिक के भवन निर्माण किये जाने,
7. तहसील भवन बंगापानी, तेजम के भवन निर्माण किये जाने।
8. पं0 नैन सिंह, बलाती साहसिक पर्यटन भवन के अधूरे भवन का निर्माण कार्य किये जाने,
9. मुनस्यारी से खलियाटाप रोपवे का निर्माण किया जाने,
10. ओम पर्वत से आदि कैलाश, होकरा देवी, भराड़ी और छिपला कोट को चारधाम योजना के तहत जोड़े जाने,
11. ओम पर्वत से आदि कैलाश, छिपला कोट, होकरा देवी, भराड़ी में पैदल रास्तों में पेयजल व्यवस्था, यात्री हट के निर्माण किये जाने,

12. आदि कैलाश, छिपला कोट, होकरा देवी एवं भराड़ी में नमामि गंगे की तर्ज पर स्नान घाटों का निर्माण किये जाने,

13. दारमा, चौदास, व्यास मल्ला जौहार व रालम क्षेत्र को पैदल, पेयजल, व मोबाईल सेवा से जोड़े जाने उक्त में छः माह राशन सरकारी रेट पर अवमुक्त करने एवं छः माह निःशुल्क हैली सेवा उपलब्ध कराये जाने,

14. धारचूला मुनस्यारी के समस्त विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने एवं प्रदेश के समस्त विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर एस0एस0बी0 प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को नियुक्ति दिये जाने,

15. पशु चिकित्सालय केन्द्रों में पशु एवं पशुधन अधिकारी की नियुक्ति किया जाने,

16. विधानसभा धारचूला के समस्त अस्पतालों में चिकित्सक (पुरुष/महिला), फार्मासिस्ट, ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 की नियुक्ति किये जाने,

17. विधान सभा धारचूला के समस्त क्षेत्रों को मोबाईल नेटवर्क से जोड़े जाने,

18. बंगापानी व तेजम तहसील में स्थाई तहसीलदारों की नियुक्ति किये जाने,

19. धारचूला, मुनस्यारी के समस्त गांवों में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त किये जाने,

20. तल्ला छारछूम से मल्ला छारछूम, चामी, लुंग्ती, छोड़ीबगड़, शेराघाट, मदकोट, सिरमोला, नावनी, तेजम, बांसबगड़, दानीबगड़, बिछोरिया, धारचूला टाउन में आर्मी कैम्प में तटबन्ध निर्माण किये जाने,

21. मुनस्यारी के खलियाटाप में औली की तर्ज पर स्केटिंग को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने,

22. दारमा क्षेत्र के पंचाचुली बेस कैम्प में होम स्टे योजना आरम्भ किये जाने,

23. वर्ष 2018-19 की आपदा से क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा व पुनर्निर्माण कार्य किये जाने,

24. लम्बित विद्युत परियोजना, एन0एच0पी0सी0, टी0 एच0 डी0सी0, एन0टी0पी0सी0 को पूर्ण किये जाने,

25. धारचूला के दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों को अतिरिक्त हाई एल्टिट्यूट भत्ता एवं उनके परिजनों को शहरी क्षेत्र में आवास सुविधा प्रदान किये जाने,

26. गूंजी, दारमा, चौदास, रालम, चौहान क्षेत्र में नियुक्त पुलिस के जवानों को सेना की तरह अतिरिक्त भत्ते दिये जाने,

27. मुनस्यारी में मिनी टैक्सटाइल पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,

28. नगर पालिका धारचूला में ग्वाल गांव को सीवर लाईन से जोड़े जाने,

29. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में पोखरी सड़क का निर्माण किये जाने,

30. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में कांडा बलुवाकोट सड़क का निर्माण किये जाने,

31. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट भोड़ा लेक सड़क का निर्माण किये जाने,

32. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में धारचूला से रौंभी सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,

33. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट पय्यापौड़ी सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,

34. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में कन्जोती से सुवा तक सड़क का निर्माण किये जाने,

35. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में नारायण आश्रम से पस्ती तक सड़क का निर्माण किये जाने,

36. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बरम से कनार तक सड़क का निर्माण किये जाने,

37. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बामी, मेतली, खेतीखान, देवलेख, थरपच्दा सड़कों के निर्माण किये जाने,

38. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में लुमती से थरुड़ी मनकोट, बयोला तक सड़क का निर्माण किये जाने,

39. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सैरा से सिंलिग अड़तोली सड़क का निर्माण किये जाने,

40. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में आलम दारमा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

41. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भवानी से मदरपा होते हुए धामी गांव तक सड़क का निर्माण किये जाने,

42. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सेराघात से गोल्फा बोना मोटर मार्ग में पुलों के निर्माण किये जाने,

43. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में दानीबगड़ में टांगा, भिकरिया के लिए पुलों का निर्माण किये जाने,

44. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में फापा से उच्छैती तक सड़क निर्माण किये जाने,

45. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में उच्छैती से झिमझिमिया मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

46. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में क्वीरीथिमिपा साईपोलो, साईधुत तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

47. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में पोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

48. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बल्थी से वाता उमडाणा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

49. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में मदकोट से रोपाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

50. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में रिंपू ग्राम सभा में ओखली और स्पलतिंग सड़क का निर्माण कार्य किये जाने,

51. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में मानीटुण्डी में आंतरिक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

52. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भदेली से मल्ला भदेली सड़क मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,

53. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में चौबा मालपाती भराड़ी मंदिर पापड़ी मोटर मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,

54. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में गिनीबैण्ड से गिनीगांव सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

55. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बिरथी से दाफा सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

56. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सैरणामी से बरथी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

57. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में क्वीटी से सैमली सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

58. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में डोर से रुइसपाता सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

59. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में तेजम से नोटागांव सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

60. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भैसकोट से छोतगाड़ी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

61. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भैसकोट से दुधधड़ तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

62. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भैंसकोट से बसानी तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

63. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में तोला भैंसकोट से तल्ला भैंसकोट तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

64. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में राया बफेता सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

65. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सेलमाली से कुरवा तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

66. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सीड़ीचामा क्षेत्र में आंतरिक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

67. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में लीती से नामिक सड़क व पुल निर्माण कार्य किये जाने,

68. विधान सभा क्षेत्र धारचूला के तहसील धारचूला, तहसील बंगापानी, तहसील मुनस्यारी तहसील तेजम के समस्त आपदा प्रभावितों के लिए राहत राशि व पुनर्वास की व्यवस्था किये जाने,

69. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सामु०स्वा० केन्द्रों में चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति किये जाने,

70. विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने,

71. विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विद्यालयों के भवन निर्माण किये जाने हेतु धन की व्यवस्था किये जाने,

72. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में पेयजल की सुचारू व्यवस्था किये जाने,

73. पर्यटक क्षेत्र धारचूला के पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,

74. आदि कैलाश तथा ओम पर्वत जैसे आस्था के केन्द्रों हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,

75. आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,

76. प्रसिद्ध आलू उत्पादक क्षेत्र (बंगातीफार्म) के लिए धनराशि की व्यवस्था किये जाने,

77. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में माईग्रेट ग्राम क्षेत्र रालम के लिए पैदल रास्ते व पुल निर्माण किये जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,

78. नेटवर्क से वंचित समस्त विधान सभा क्षेत्र को नेटवर्क से जोड़ने हेतु धन की व्यवस्था किये जाने,

79. जाराजिबली से मेतली मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

80. बलुवाकोट से थौड़ालेख मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

81. मुनस्यारी में पूर्ववर्ती सरकार में निर्माणाधीन मिनी टैक्सटाईल पार्क का निर्माण किये जाने,

82. मुनस्यारी में हाईट्यूट पं0 नैन सिंह कालेज का निर्माण किये जाने,

83. मुनस्यारी में इंटर कालेज तथा महाविद्यालयों में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,

84. तल्ला जौहार में तेजम हस्पिटल का निर्माण किये जाने,

85. तल्ला जौहार में तहसील भवन का निर्माण किये जाने,

86. तल्ला जौहार में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,

87. बांसबगड़ में सामु0स्वा0 केन्द्र का निर्माण किये जाने,

88. कालिका में क्रीड़ा स्थल का निर्माण किये जाने,

89. धारचूला इंटर कालेज में हैलीपैड व स्टेडियम का निर्माण किये जाने,

90. धारचूला राठी के सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,

91. तेजम में क्रीड़ा स्थल का निर्माण किये जाने,

92. बांसबगड़ में क्रीड़ा स्थल का निर्माण किये जाने,

93. धामी गांव से बंगापानी तक सड़क निर्माण किये जाने,

94. छारमाघाटी से सेला, चल, बौंना, बाऊनी, गो, मारछों, छीपू को सड़क से जोड़ने का कार्य किये जाने,

95. व्यासघाटी में रौंग-फौंग को सड़क से जोड़ने का कार्य किये जाने,

96. धार्मिक स्थल आदि कैलाष में पार्वती सरोवर और गौरीकुण्ड का सौन्दर्यीकरण का कार्य किये जाने,

97. ओम पर्वत दर्शन हेतु मार्ग निर्माण किये जाने,

98. होकरा में मंदिर स्थल सौन्दर्यीकरण का कार्य किये जाने,

99. धारचूला में गलाती से धार्मिक स्थल छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,

100.स्यास्कुटी से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,,

101.गलाती से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,

102.कनार से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,

103.जाराजिबली से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,

104.खेतजम्कू से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,

105.खड़तोली से श्रद्धालुओं हेतु इन उक्त समस्त गांवों में पैदल मार्ग, पेयजल की व्यवस्था एवं यात्री टिन शेड का निर्माण कार्य किये जाने,,

106.बिरथी गिरगांव, गिनी, ला झेकला, सैंड़रायी, किमखेत, बाला के समस्त श्रद्धालुओं हेतु नन्दा कुंड तक पैदल पथ, यात्री षेड एवं पेयजल की व्यवस्था का कार्य किये जाने,

107.सैमली, रूसपट्टा, बोरागांव, होकरा से जर्थी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

108.कुलडौरी से रूसपट्टा तक तटबन्ध एवं सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

109.बंगापानी में तहसील भवन एवं स्टेडियम का निर्माण कार्य किये जाने,

110.राथी बौड़ागांव सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

111.आपदा प्रभावितों परिवार जो कि एक ही घर में कई परिवार गुजर-बसर कर रहे थे को पृथक-पृथक पुनर्वासित किये जाने,

112.नामिक में स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किये जाने,

113.नामिक, मल्ला जौहार, कनार, दारमा, चौदान, व्यास, नमिक, रालम जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के समय निःषुल्क हैली सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु,

114.सुरिंग गाड़ और तल्ला धुम्मर में तटबंध निर्माण किये जाने,

115.भदेली, मदकोट, शेरा, शेराघाट, बंगापानी, घरूड़ी, मनकोट, मोरी लम्ती, धामी, जौलजीवी, घट्टा बगड़, बलुवाकोट, धारचूला, गर्बियांग, तेम, सोबला, बांसबकड़, नाचनी, रसियाबगड़, रूसपट्टा, तेजम में तटबंधों का निर्माण किये जाने,

116.पूर्ववर्ती सरकारों में उच्चीकृत समस्त विद्यालयों में पठन पाठन को सुचारू किये जाने,

117.पूर्ववर्ती सरकारों में मदकोट व तेजम में उच्चीकृत सा0स्वा0 केन्द्रों के सुचारू संचालन किये जाने,

118.बसौड़ा से खुन्नी तक सड़क निर्माण कर जोड़ने का कार्य किये जाने,

119.बसौड़ा से कालिका गोठी धूरा सड़क को जोड़ने का कार्य किये जाने,

120.दाखिम से माड़ी धामी होते हुए आलम दारमा, बंगापानी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

121.गौना से गोल्फा मोतीछट सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

122.बलुवाकोट पोखरी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

123.मूर्ति जापड़ से सीढ़ी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,

124.होकरा में क्रीड़ा स्थल निर्माण कार्य किये जाने,

125.सैणरांधी-किमखेत के मध्य क्रीड़ा स्थल निर्माण कार्य किये जाने,

7. श्री मनोज तिवारी,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. विधान सभा अल्मोड़ा में उप क्षेत्रीय विज्ञान पार्क में शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालित किया जाय,
2. अल्मोड़ा विधान सभा के लोधिया में फूड़ काफ्ट इंस्टीट्यूट में कक्षाओं का संचालन किये जाने,
3. अल्मोड़ा में स्पोर्टस कालेज स्वीकृत किये जाने,
4. जनपद अल्मोड़ा विधान में पयर्टन को बढ़ाने की दृष्टि से मल्ला महलर्स, कसारदेवी, बानडीदेवी, स्याही देवी रोप-वे की स्वीकृति दिये जाने,
5. अल्मोड़ा विधान सभा में इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत किये जाने,
6. अल्मोड़ा विधान सभा को नगर को हैरिटेज सिटी घोषित किये जाने,
7. अल्मोड़ा विधान सभा का विस्तार होने के कारण सिटी बस तत्काल संचालित किये जाने,
8. अल्मोड़ा विधान सभा के विकास खण्ड भैसियाछना के रीठागाड़ में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति दिये जाने,
9. अल्मोड़ा विधान सभा के बाड़ेछीना में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण किये जाने,
10. अल्मोड़ा विधान सभा के विकासखण्ड लमगड़ा के ग्राम बैरा में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
11. अल्मोड़ा विधान सभा के विकासखण्ड भैसियाछना के धौलाछीना में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
12. अल्मोड़ा विधान सभा के विकास खण्ड भैसियाछना के बाड़ेछीना में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
13. अल्मोड़ा विधान सभा के हवालबाग ब्लाक के समीप मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
14. अल्मोड़ा विधान सभा के हवालबाग क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु मिनी उद्योग का निर्माण किये जाने,

15. अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त आई0टी0आई0 संस्थान को मैदान क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के साथ समन्वय करते हुए संचालित किये जाने,
16. अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड भैसियाछाना के बाड़ेछीना पॉलिटेक्निक नई कक्षायें संचालित किये जाने,
17. अल्मोड़ा विधान सभा के आई0टी0आई0 धौलछीना नये ट्रेड खोले जाने,
18. अल्मोड़ा विधान सभा के कसारदेवी को पर्यटन के साथ-साथ आध्यात्मिक केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने,
19. अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में योग शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु योग संस्थान की स्थापना किये जाने,
20. अल्मोड़ा विधान सभा उदया शंकर नाट्य आकादमी को पूर्णरूप से संचालित किये जाने,
21. अल्मोडा विधान सभा क्षेत्र विकास खण्ड भैसियाछाना नौगांव में मिनी स्टेडियम का निर्माण,
22. अल्मोडा विधान सभा क्षेत्र के वि0ख0 लमगडा के हा0डोरा का उच्चीकरण,
23. अल्मोडा विधान सभा क्षेत्र के वि0ख0 हवालबाग के ग्राम खूट पनीर प्लाट की पूर्व स्वीकृत के अनुरूप स्वीकृत किया जाय,
24. अल्मोडा विधान सभा क्षेत्र के वि0ख0 हवालबाग के ग्राम खूट में इचकालीन प्रशिक्षण केन्द्र को पुनः संचालित किये जाने,
25. अल्मोडा विधान सभा क्षेत्र के जिला प्राधिकरणों को समाप्त किया जाय।

8. श्री खुशाल सिंह अधिकारी,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

01. लोहाघाट नगर के नजुल भूमि को फ्री होल्ड किये जाने,
02. लोहाघाट में युग पुरुष स्वामी विवेकानन्द जी के नाम से मेडिकल कोलेज की स्थापना किये जाने,
03. कृषि विज्ञान केन्द्र लोहाघाट में पन्तनगर कृषि महाविद्यालय खोले जाने,
04. लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय का उच्चीकरण किये जाने,
05. लोहाघाट के पॉलिटेक्निक कॉलेज का उच्चीकरण कर इंजीनियरिंग कालेज बनाये जाने,

06. लोहाघाट में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने,

07. लोहाघाट के ग्राम सुतेड़ा से ग्राम जमरेड़ी कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,

08. लोहाघाट के ग्राम सभा खतेड़ा व गंगनौला में पेयजल योजना का निर्माण कार्य किये जाने,

09. लोहाघाट के खुनाबोरा में पेयजल योजना बनाये जाने,

10. लोहाघाट क्षेत्र के प्रसिद्ध झूमाधुरी मन्दिर में रोपवे ट्रोली लगाये जाने,

11. लोहाघाट के चौकड़ी तोक से कोयाटी खालसा तक सड़क निर्माण किये जाने,

12. लोहाघाट के ग्राम चामी कुमालेश्वर से मन्दिर तक सडक निर्माण

13. लोहाघाट के किमतोली रैसाल मोटर मार्ग से रूद्रमाली, पोखरी तक मोटर मार्ग सुधारीकरण किये जाने,

14. लोहाघाट के ग्राम सभा पऊ से सिमल घांघल होते हुए गला गांव तक मोटर मार्ग निर्माण

15. लोहाघाट के ग्राम पंचायत बमनकुड़ा से मौड़ा गांव तक सड़क निर्माण किये जाने,

16. बाराकोट में अतिथि विश्राम गृह का निर्माण किये जाने,

17. बाराकोट में डिग्री कालेज का निर्माण कार्य किये जाने,

18. बाराकोट के पम्दा में पेयजल योजना बनाये जाने,

19. पाटी के रीठा साहिब में डिग्री कालेज का निर्माण कार्य किये जाने,

20. पाटी के केदारस्थान से चमतौला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,

21. पाटी के ग्राम सभा चौंड़ासौन से पुनौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,

22. पाटी के ग्राम पंचायत चौड़ाकोट के धुवामौनी मुख्य सड़क से डुंगरा तोक तक सड़क निर्माण किये जाने,

23. बाराकोट के बैड़ा बैडवाल के तोक चमनपुर भनखोला के विस्थापन किये जाने,

24. बाराकोट के प्रसिद्ध माँ भगवती मन्दिर लडीधुरा को पर्यटन मानचित्र में जोड़ते हुए विकसित किये जाने,

25. पाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध फटकशीला मन्दिर को पर्यटन मानचित्र में जोड़ते हुए विकसित किये जाने,

26. पाटी लधियाघाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध माँ शीला देवी मन्दिर को पर्यटन मानचित्र में जोड़ते हुए विकसित किये जाने,

27. पाटी के रीठाखाल क्षेत्र के प्रसिद्ध मन्दिर को पर्यटन मानचित्र में जोड़ते हुए विकसित किये जाने,

28. पाटी के कानाकोट मोटर मार्ग से तल्लीलड़ी, झाडसिरतोली छिल्काछीना मोटर मार्ग को जोड़ते हु विकसित किए जाने,

29. पाटी के बिनवाल गाँव से कलियाधुरा छीडाखान मोटर मार्ग 24.03.2008 की स्वीकृति को यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ किये जाने,

30. पाटी के रीठासाहिब में भू कटाव को रोकने हेतु चैक डैम का निर्माण किये जाने,

31. पाटी के सिमलखेत में भू कटाव को रोकने हेतु चैक डैम का निर्माण किये जाने,

32. पाटी के धरसो लिंक रोड़ से भीमराडा के अधीनकर कैडाईजर तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,

33. बाराकोट में ग्राम पठ्ली से जिव्डी काकड तक मोटर मार्ग को लोनि०वि० के अधीन किये जाने,

34. पाटी के ग्राम मानर में हॉस्टिपटल तिराहे से बूँगामानर तक सड़क निर्माण किये जाने,

35. पाटी के रीठमिडार मोटर मार्ग से लिंक रोड कटिंग एवं सुधारीकरण कार्य किये जाने,

36. पाटी के ग्राम परेवा में तोक कापडा धौ से मूल ग्राम मन्दिर तक सडक निर्माण किये जाने,

37. बाराकोट के तोक खलनियॉं, बन्जाबाड, अतखड़ा में मोटर मार्ग निर्माण किये जाने

-26-

38. बाराकोट के ग्राम पंचायत तड़ीगांव में ग्राम डोबा-खाली तोक में सडक निर्माण किये जाने,

39. पाटी के कानाकोट से तल्ली लडी अवशेष सडक निर्माण कार्य किये जाने,

40. विकास खण्ड मुख्यालय पाटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटी का उच्चीकरण किये जाने,

41. पाटी के ग्राम पंचायत चौडासौन में बिलगडा तोक में भू कटाव हेतु चेक डेन निर्माण किय जाने,

42. पाटी के ग्राम देवली से नौलिया गांव तक सडक मार्ग का निर्माण किये जाने,

43. पाटी के न्याय पंचायत चौडामेहता में पशुचिकित्सालय की स्थापना किये जाने,

44. लोहाघाट के छमनियाचौड को मिनी फिल्म सिटी के रूप में विकसित किये जाने,

45. लोहाघाट के चौखामबाबा के चमुदेवता मेले को राजकीय मेला घोषित कर पर्यटन विभाग से विकसित किये जाने।

9. श्री विक्रम सिंह नेगी,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. उत्तराखण्ड में सशक्त भू-कानून बनाने एवं मूल निवास जारी करने,
2. उत्तराखण्ड के सी0एच0सी0 अस्पतालों में सीनियर स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर एवं रेडियोलाजिस्टों की तत्काल नियुक्ति करने,
3. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों से लोगों की जान की सुरक्षा को देखते हुए तेंदुआ, गुलदार एवं जंगली सुअर को संरक्षित प्रजाति की सूची से बाहर रखने,
4. लम्बे समय से संविदा/उपनल कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा कार्यकत्री, भोजन माता, अतिथि शिक्षकों को राजकीय कर्मचारी घोषित करने,
5. कोरोना काल में विभिन्न अस्पतालों/नगरपालिका/नगर निकाय तथा अन्य विभागों में लगे हुए कर्मचारी जिन पर सरकार ने फूल बरसाये थे और बाद में उन्हें हटा दिया, की सेवा बहाल करने,

6. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत फिकवाल समुदाय को केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित करने,

7. जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में स्वीकृत राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने व संचालन प्रारम्भ करने,
8. जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत जखिण्डा में 1100 नाली भूमि पर स्वीकृत वानिकी औद्यानिकी विश्वविद्यालय के परिसर का भवन निर्माण एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण एवं पदों का सृजन करने,
9. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत प्रतापनगर में वानिकी औद्यानिकी विश्वविद्यालय के शोध प्रसार केन्द्र एवं माली प्रशिक्षण केन्द्र के भवन निर्माण एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण एवं पदों का सृजन करने,
10. जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत उत्तरद्वारिका सेम नागराजा धाम के पैदल पथ पर कैनोपी निर्माण एवं पर्यटन विकास कार्य करने के साथ सेम नागराजा धाम को उत्तराखण्ड का पांचवा धाम बनाये जाने,
11. टिहरी बांध की झील में विश्वस्तरीय पर्यटन विकास योजना में खैट पर्वत, पीडी-1, पीडी-2 के पर्यटन विकास को भी सम्मिलित करने एवं रिंग रोड का निर्माण करने,
12. टिहरी बांध झील से अतितम प्रभावित प्रतापनगर विधान सभा में झील के ऊपर स्थित ग्राम म्यूण्डा से मोटणा तक पर्यटन विकास कार्य करने,
13. प्रतापनगर विधान सभा के अन्तर्गत प्रसिद्ध खैट पर्वत एवं मणबागी सौड़ से सेम नागराजा धाम हेतु रोपवे निर्माण करने,
14. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रजाखेत, लम्बगांव, खेतुधार एवं झील के ऊपर ग्राम खाण्ड धारमण्डल में हेलीपैड निर्माण करने,
15. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के ग्राम पाचरी, पड़िया एवं सेमण्डीधार एवं खरोली के ऊपर अर्द्धनिर्मित स्टेडियमों के लिये शेष धनराशि स्वीकृत करने,
16. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के वाल्खाखाल से ठांगधार तक सड़क निर्माण करने,

17. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के गुनोगी से नैलबागी तक सड़क निर्माण करने,

18. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत जीटीपी सड़क से जखिण्डा तक सड़क निर्माण के लिए शेष धनराशि का आवंटन करने,
19. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत न्यूण्डा मय लवाली सड़क के रिवाईज एस्टीमेट की स्वीकृति देने,
20. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रिण्डोल से धारकोट वाली सड़क का डामरीकरण करने,
21. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव-बिजपुर पनियाला सड़क के काण्डा-जिवाल (रावतगांव) तक सड़क निर्माण करने,
22. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मांजफ-मंदार सड़क का डामरीकरण करने,
23. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मुखमालगांव-सिलोड़ा-सौंदी सड़क निर्माण करने,
24. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खराला से धंगणगांव तक सड़क निर्माण करने,
25. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रैका से सदड़गांव तक सड़क निर्माण करने,
26. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खम्बाखाल-मुखमालगांव-सिलोड़ा सड़क निर्माण करने,
27. जगड़गांव पट्टी गमरी उत्तरकाशी से किमखेत-बिजबागी (टि0ग0) तक सड़क निर्माण करने,
28. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सौन्दगडडा से चाका-सिलोड़ा सड़क के द्वितीय चरण की स्वीकृति देने,
29. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मण्डागी सौड़ से माजेरभाल तक सड़क निर्माण करने,
30. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रत्नौगाड-क्यूलागी सड़क के किमी0 4 से बोरगांव तक मिसिंग लिंक निर्माण करने,
31. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत गोदड़ी से थौलधार तक सड़क निर्माण करने,
32. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत भैंगा-गैरी-गोदड़ी से बेयाण सड़क का निर्माण करने,

33. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत काण्डा प्रतापनगर सड़क से धनागांव-खुड्डू-राजू की सारी से लाडा देवता तक सड़क निर्माण करने,

34. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत स्यान्सू पुल से बैलगांव सड़क का डामरीकरण करने,

35. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सीएचसी लम्बगांव, सीएचसी प्रतापनगर, सीएचसी छेरपधार, सीएचसी मदननेगी एवं रजाखेत, सेमण्डीधार, काण्डीखाल एवं डोबरा अस्पताल में अल्ट्रासाउण्ड एक्सरे, पैथोलाजी लैब सुविधा के साथ टैक्नीशियन, स्वास्थ्य कर्मी एवं डाक्टरों की नियुक्ति करने,

36. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सभी स्कूलों एवं कालेजों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों को शीघ्र भरने,

37. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव-प्रतापनगर सड़क पर स्थित जनसंख्या बाहुल्य कस्बे रमोलगांव, मांजफ, बनाली, धारकोट एवं पटुड़ी में पार्किंग का निर्माण करने,

38. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कस्तल-सिल्ला-सेमण्डीधार तक सड़क निर्माण करने,

39. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मंदार-मांजफ सड़क से देवताधार-दुगड़िया-भेगल्थ तक सड़क निर्माण करने,

40. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मन्दार घोल्डाणी सड़क का डामरीकरण करने,

41. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत राड़का मन्दार तक सड़क का निर्माण करने,

42. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गतघोल्डाणी में मोबाइल टावर का निर्माण करने

43. कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना लागू करने,

44. उत्तराखण्ड में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत निजी ठेकेदारों के माध्यम से आउटसोर्स किये गये गैंग कर्मियों को संविदा, उपनल, हैण्ड रसीद के माध्यम से सेवायोजित करने,

45. उत्तराखण्ड जल संस्थान में कार्यरत पार्ट टाइम फिटरों का मानदेय बढ़ाने,

46. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मांजफ-मंदार, कोटालगांव-तिनयालगांव, लासी-सेम्च, चौन्दाणा-खैट सड़क का लम्बित मुआवजा भुगतान करने,
47. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय से नई टिहरी जिला मुख्यालय तक एवं ऋषिकेश डोबरा धारकोट भल्वाड़ा रोडवेज बस सेवा शुरू करने,
48. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत पेयजल सुविधा हेतु स्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु बेस कार्य योजना बनाने एवं जल संरक्षण हेतु रा0इ0का0 धारकोट के ऊपर नदौड़, खैट एवं पीड़ी के बीच लवाना, खैट पर्वत धारकोट के ऊपर जगदेई पाणी, ग्राम मांजफ के ऊपर नौलाण बीट, ग्राम मंदार के ऊपर भेगल्थ, ग्राम कुड़ी के ऊपर नाल्द, सेम नागराजा धाम के समीप मणवागी सौड़, ग्राम जाखणी के ऊपर खरोली सौड, ग्राम सेलूर के अगान, ग्राम ओनालगांव एवं रैणिया के ऊपर कुजु सौड, दिन्याली देवी, ग्राम पोखरी भदूरा के ऊपर अखोड़ी, ग्राम कोटी में तेधारिया, ग्राम ढुंग, ग्राम कंगसाली, ग्राम रिण्डोल के लोगी नामें तोक में वृहद तालाब निर्माण करने,
49. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत उपली रमोली एवं रौणद रमोली के मध्य 33 के.वी. विद्युत सब स्टेशन बनाने,
50. ढुंगमंदार पट्टी के मध्य 33 के.वी. का विद्युत सबस्टेशन बनाने,
51. उत्तराखण्ड प्रदेश में स्थायी एवं संविदा कर्मियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने,
52. राष्ट्र को ऊर्जा देने वाले टिहरी बांध निर्माण हेतु अपना महान योगदान देने वाले टिहरी के पथरी में विस्थापित, जो पथरी हरिद्वार के भाग 1,2,3 व 4 में भूमिधरी से वंचित हैं उनको तुरंत भूमिधरी का अधिकार देने,
53. प्रतापनगर विधान सभा में नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कारिडोर स्वीकृत करने,
54. प्रतापनगर विधान सभा में गोट वैली व कुक्कुट वैली स्थापित करने,
55. प्रतापनगर विधान सभा में बायो सीएनजी प्लांट स्वीकृत करने,

56. प्रतापनगर विधान सभा में क्लस्टर आधारित ट्राउट फार्मिंग शुरू करने,
57. प्रतापनगर विधान सभा में 20 अमृत सरोवरों का निर्माण करने,
58. सोलर प्लांट से निकलने वाली ऊर्जा की निकासी के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में सोलर पावर प्लांट के लिए विद्युत लाईनों का सुदृढ़ीकरण एवं ट्रांसफारमरों का उच्चीकरण, 33 केवी, 132 केवी, एवं 220 केवी के सबस्टेशनों का निर्माण एवं उच्चीकरण व 11 केवी एवं 33 केवी लाइनों की क्षमता वृद्धि करने,
59. चारधाम यात्रा के दौरान गंगोत्री से केदारनाथ मार्ग पर लम्बगांव-रजाखेत-पीपलडाली सड़क पर वाटर एटीएम व वाटर प्यूरीफायर लगाने,
60. प्रतापनगर विधान सभा में लम्बगांव आई.आई.टी. भवन निर्माण की शेष धनराशि जारी करने एवं कार्य प्रारम्भ करने,
61. प्रतापनगर विधान सभा के रजाखेत आई.आई.टी. में इण्डस्ट्रीयल लिंकिज सेल स्थापित करने व ड्रोन तकनीक, सोलर, टूरिज्म, वैलनेस, मैकेनिकल, वेल्डर, कोपा, सिलाई प्रशिक्षण, मोटर मैकेनिम के ट्रेड शुरू करने,
62. प्रतापनगर विधान सभा में दिन्याली देवी, पीड़ी-1, पीड़ी-2- खैट, सेम नागराजा, चन्द्रेश्वर, गल्लेश्वर, भद्रेश्वर, सर्वेश्वर, भामेश्वर, भेलेश्वर, ओणेश्वर मन्दिर माला मिशन योजना की स्वीकृति मानसखण्ड मन्दिर मिशन की तर्ज पर करने,
63. प्रतापनगर विधान सभा में मुखेम ग्राम को संस्कृत ग्राम घोषित करने,
64. लम्बगांव बाजार में डंप कूड़ा निस्तारण की समस्या का निदान करने,
65. प्रतापनगर विधान सभा की ओण पट्टी, भदूरा पट्टी, ढुंगमंदार पट्टी एवं उपली रमोली पट्टी में मिशन ऐपल योजना स्वीकृत करने,
66. प्रतापनगर विधान सभा में प्रतापनगर व ग्राम खाण्ड को आयुष हब के रूप में विकसित करने,

67. प्रतापनगर विधान सभा में राइका गल्याखेत, राइका लम्बगांव, राइका मिश्रवाणगांव, राइका काफलपानी, राइका बेरगणी पली के जीर्ण-शीर्ण भवनों के निर्माण करने।

16. श्री मयूख सिंह महर,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. विधान सभा पिथौरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम दिगतोली से गंगोलीहाट स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा तक रोप-वे का निर्माण किये जाने,
2. पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के सौन पट्टी स्थित मड़ सौन गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किये जाने,
3. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के रावतगड़ा से हन्दू तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
4. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के सल्ला ग्राम से पंचेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
5. जनपद पिथौरागढ़ के पंचेश्वर में सरयू नदी में मोटर पुल का निर्माण किये जाने,
6. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के रामेश्वर मंदिर के समीप रामगंगा नदी में मोटर पुल का निर्माण किये जाने,
7. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में ग्राम मड़ खड़ायत से असुरचूला मंदिर तक पर्यटक ट्रैक रूप निर्माण किये जाने,
8. जनपद पिथौरागढ़ के लच्छैर स्थित मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकास किये जाने,
9. जनपद पिथौरागढ़ के अ0जा0 ग्राम डूंगरी से अ0जा0 ग्राम उपरतोला तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
10. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अ0जा0 ग्राम कीनी गाड़ से अ0जा0 ग्राम उपरतोला तथा खड़कू भल्या तक सिंचाई गूल का निर्माण किये जाने,
11. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के मेलडूंगरी से अ0जा0 ग्राम मेलक, धरासी चमेलिया तथा उपरतोल तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
12. जनपद पिथौरागढ के सौन पट्टी क्षेत्र हेतु महाकाली नदी से लिफ्टिंग पेजयल योजना का निर्माण किये जाने,
13. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के जाजर, चिंगरी, सेल, सल्ला, सिलिंगचा, कौल इत्यादि ग्रामों हेतु सरयू नदी से पेयजल योजना का निर्माण किये जाने,
14. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के पिथौरागढ़ शहर से दिल्ली तथा देहरादून तक वोल्वो बस सेवा का संचालन किये जाने,

15. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के पिथौरागढ़ शहर में यातायात व्यवस्था दुरूस्त करने हेतु सीटी बसों का संचालन किये जाने,
16. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ में उ0मा0वि0 विद्यालय खड़कू भल्या का इन्टरकालेज में उच्चीकरण करने,
17. जनपद पिथौरागढ कैम्पस कालेज में विधि कक्षाओं का संचालन करने,
18. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ में रई विल झील का निर्माण किये जाने,
19. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के सैन्य क्षेत्र से जुड़े गांवों को पृथक मार्ग उपलब्ध कराये जाने
20. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ में ग्राम टकाड़ी में कपलेश्वर मंदिर में पर्यटक पार्क तथा पहुंच मार्ग का निर्माण करने।

10. श्री गोपाल सिंह राणा,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1 महाराणा प्रताप रा0महा0 विद्यालय नानकमत्ता हेतु भूमि एंव भवन की व्यवस्था किये जाने,
2 नानकमत्ता वि0स0 क्षेत्र में एक मात्र विद्युत सबस्टेशन है, नानकमत्ता वि0स0 क्षेत्र में एक और ग्राम लामाखेड़ा करोनी में सब विद्युत स्टेशन की स्थापना किये जाने,
3 नानक मत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने,
4 जनपद उधमसिह नगर के नानकमत्ता वि0स0 के ग्राम साधू नगर एंव सिडकुल सितारगंज के मध्य कैलाश नदी में पुल का निर्माण किये जाने,
5 जनपद उधमसिंह नगर के वि0सभा क्षेत्र को जन-जाति क्षेत्र विभिन्न जन-जाति ग्राम जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत ग्रामीण आन्तरिक सडकों का निर्माण किये जाने,
6 नानकमत्ता वि0स0 क्षेत्र के नानकमत्ता उप तहसील नानकमत्ता में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना किये जाने,
7 वि0सभा0 क्षेत्र नानकमता के अन्तर्गत नानकसागर को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने।

11. श्रीमती अनुपमा रावत,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद हरिद्वार की विधानसभा क्षेत्र एवं 35- हरिद्वार ग्रामीण में एक उच्च राजकीय चिकित्सालय खोले जाने एवं जनपद हरिद्वार की विधान सभा क्षेत्र 35-हरिद्वार ग्रामीण में ग्राम भोगपुर, लालढांग पी0एच0सी0 का उच्चीकरण किये जाने,

2. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के लालढांग में मा0 मुख्यमंत्री द्वारा 2021 की घोषणा अनुसार सिडकुल क्षेत्र का विस्तारीकरण एवं 70 प्रतिशत स्थानीय नव जवानों को रोजगार दिये जाने,
3. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में कुम्भ क्षेत्र का विस्तारीकरण कर बड़ी सड़कों का निमार्ण किया जाए एवं भोगपुर से कांगड़ी तक पुल का निर्माण किये जाने,
4. विधान सभा क्षेत्र में गंगा नदी पर तटबंधो का निर्माण किये जाने,
5. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण पूर्णरूप से ग्रामीण होने के कारण एक तहसील की स्थापना,
6. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में ज्यादातर क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बहुत नुकसान होता है इस हेतु बाउंड्री वाल व तारबाड़ किये जाने,
7. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण में स्ट्रीट लाईट पूर्णरूप से लगाई जाने,
8. हरिद्वार ग्रामीण में दो खेल के मैदानों का निर्माण किये जाने,
9. हरिद्वार ग्रामीण में एक कन्या महाविद्यालय खोले जाने,
10. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के लालढांग में इंटरनेट बूस्टर लगवाये जाने,
11. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में रविदास मंदिर व बाल्मिकी मंदिरों का सौन्दर्यकरण किये जाने,
12. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में बंद पड़े ट्यूबवैल संचालित किये जायं एवं नये ट्यूबवैल निर्माण किये जाने,
13. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में ओवर हेड हेतु टैंक बनाये जाने,
14. हद्विार ग्रामीण क्षेत्र में ट्यूबवैल व बिजली बिल माफ किये जाने,
15. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में लालढ़ांग से कोटद्वार तक राज्य मार्ग के तर्ज पर सड़क का चौड़ीकरण कर सड़क निर्माण किया जाये व चिल्लरखाल तक बनाये जाने,
16. लालढ़ांग में रवासन नदी पर बड़ा जलाशय का निर्माण किये जाने,
17. गन्ने का प्रति दो सप्ताह में भुगतान किया जायं एवं नये गन्ने खरीद केन्द्र खोले जाने,
18. प्रसिद्ध टिहरी बांध विस्थापित पथरी के लोगों पथरी, गैडीखता वन गुज्जरों, पुरूषोत्तम नगर, कमला नगर वासियों का जमीनों का मालिकाना अधिकार दिये जाने,
19. हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम डालपुरी, ग्राम चण्डीघाट, ग्राम पथरी, गैडीखता के बनगुज्जरों के ग्राम राजस्व घोषित किये जाने,
20. ग्राम धनपुरा, घिस्सुपुरा में हाईटेंशन बिजली तार हटाये जाने,

21. ग्राम जमालपुर कला में बसी समस्त कालोनी में नाली निर्माण स्थापित किये जाने,
22. हरिद्वार ग्रामीण के प्रत्येक जिला पंचायत क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूह हेतु सरस भवन बनाये जाने,
23. हरिद्वार ग्रामीण में इच्छुक ग्रामों से प्रस्ताव लेकर ओपन जिम की स्थापना किये जाने,
24. ग्राम कांगडी के गंगा तट पर तटबन्ध का निर्माण कार्य,
25. ग्राम मीठीबेरी से ग्राम बढ़ियानवाला तक नदी का कटाव रोकने हेतु आर0सी0सी0 दिवार निर्माण कार्य,
26. ग्राम इक्कड़ कलां से ग्राम इब्राहीमपुर होते हुए ग्राम अलीपुर तक इन्टर लॉकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य(लगभग 09 कि0मी0),
27. न्याय पंचायत लालढांग से मीठीबेरी, पीली पड़ाव, खोखरा होते हुए बाहरपीली, श्यामपुर, कांगडी एवं गाजीवाली तक इन्टर लॉकिंग टाईल्स सड़क निर्माण कार्य (लगभग 09 कि0मी0),
28. ग्राम रानी माजरा में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने,
29. हरिद्वार ग्रामीण के लालढांग में सन् 2015 में स्थापित आई0टी0आई0 को पुनः स्थापित करने,
30. ग्राम फेरुपुर में पशु चिकित्सालय स्थापित करने,
31. जिला हरिद्वार डिविजन मे बन गुज्जर को लोपिंग परमिट दिलाने हेतु एवं हरिद्वार डिविजन के अन्तर्गत वनों में निवासरत थे, प्रत्येक परिवारों का सम्मुचित पुर्नवास।

12. श्री फुरकान अहमद,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर में पुरानी गंगनहर के पुल जो क्षतिग्रस्त है, उसको मरम्मत कराकर ठीक कराये जाने,
2. जनपद हरिद्वार के पाउली गुज्जर तेलीवाला के पास रेलवे पुल का निर्माण कराये जाने,
3. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर विधान सभा या मेहवड़ में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
4. जनपद हरिद्वार के पिरानकलियर नगरपंचायत में पानी की टंकी व पाईप लाईन का निर्माण कराये जाने,
5. जनपद हरिद्वार के रामपुर व पाउली गुज्जर तेलीवाला योजना के अन्तर्गत पेयजल का टैंक व पाईप लाईन व सीवर का सीवर का निर्माण किये जाने,

6. प्रदेश के किसानों के कर्ज माफ किये जाने,
7. प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान किये जाने,
8. जनपद हरिद्वार पिरान कलियर विधान सभा में हलवेड़ी तिराहे के सामने से रुड़की बाईपास हरिद्वार रोड़ पर रतमवउ नदी पर सड़क एवं सेतु का निर्माण किये जाने,
9. जनपद हरिद्वार के पिरानकलियर विधान सभा में हकीमपुर तुरी से पुहाना ईकबालपुर की ओर सौलानी नदी पर सेतु एवं सड़क एवं सेतु का द्वितीय निर्माण का शासनादेश जारी किया जाय,
10. मदरसा बोर्ड से प्राप्त मदरसे को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने,
11. जनपद हरिद्वार पिरान कलियर शरीफ को पांचवे धाम के रुप में घोषित किये जाने,
12. जनपद हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पिरान कलियर में सीवर लाईन बनाये जाने,
13. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर शरीफ के वासिक मेले को सरकारी मेले घोषित किये जाने,
14. राज्य के सभी मुस्लिम एवं ईसाइयों के कब्रिस्तान व शमशान घाट की चारदीवारी का निर्माण किये जाने,
15. जनपद हरिद्वार के नदियों जैसे सौलानी नदी, रतमवउ आदी नदियों के किनारे पैचिंग, तटबन्ध निर्माण किये जाने,
16. जनपद हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध पिरानकलियर में बंद पड़ी नहर धनौरी से रुड़की तक नौका विहार एवं कृत्रिम झील का निर्माण किये जाने,
17. जनपद हरिद्वार रुड़की में अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किये जाने,
18. विधान सभा पिरान कलियर व पिरान कलियर नगर पंचायत की बिजली कटौती बंद किये जाने,
19. पिरान कलियर विधान सभा के सभी गाँवों में पानी की टंकी व टैंक निर्माण कराये जाने,
20. पिरान कलियर विधान सभा में 1000 नये हैण्ड पम्प लगाये जाने,
21. किसानों के गन्ने के मूल्य रु0 500 प्रति कुन्तल किये जाने,

22. पिरानकलियर विधान सभा के मगरूमपुर-मुस्तफाबाद में पालिटैक्निक खोले जाने,
23. पिरान कलियर विधान सभा भारापुर में बिजलीघर बनाये जाने,
24. पिरान कलियर नगर पंचायत में डिग्री कालेज खोले जाने,
25. पिरान कलियर विधान सभा ईमलीखेड़ा में रा0क0इ0कालेज खोले जाने,
26. पिरान कलियर विधान सभा के राज्य योजना के लम्बित पड़े सभी मामलों में शीघ्र शासनादेश जारी किये जाने,
27. रुड़की तहसील को जिला घोषित किये जाने,
28. जनपद हरिद्वार व प्रदेश के सभी जिलों में ट्यूवैल में बिजली फ्री दिये जाने,
29. घरेलू बिजली कनकेशन में सरचार्ज माफ किया जाय एवं बिजली के रेट कम किये जाने,
30. रुड़की रोड नहर किनारे से मुर्दघाट से होते हुए सोनाली नदी के किनारे पुल तक मोहम्मद पाब्ड़ा व रामपुर एतमाल तक सडक का निर्माण कार्य किये जाने,
31. जी0टी0 रोड कोर कालेज से भारापुर से होते हुए शेखपुरी तक सडक का निर्माण व रतमउ नदी पर रपटा का निर्माण कराये जाने,
32. दरियापुर से नागल पलुनी तक सडक का निर्माण किये जाने,
33. पिरान कलियर नगर पंचायत का सौदर्यीकरण किये जाने,
34. गुलाब शाह पीर राजकीय कन्या इन्टर कालेज के निर्माण के लिए बजट जारी किये जाने,
35. रामपुर पंचायत में बिजली घर बनाये जाने,
36. पाडली गुज्जर में राजकीय इन्टर कालेज स्वीकृत किये जाने,
37. हरिद्वार रुड़की रोड कोर कालेज के सामने से पिरान कलियर तक सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,
38. मदरसों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ते हुए उनका आधुनिकरण किया जाय। मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के प्रमाण पत्रों को अन्य बोर्डो के समान समकक्षता प्रदान किये जाने,
39. उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में निःशुल्क जूता एवं बैग उपलब्ध कराये जाने,
40. उर्द शिक्षकों की भर्ती की जाय।

41. प्रदेश में बढ़ती मंहगाई एवं बेरोजगारी को रोकने के लिए ठोस योजना बनाये जाने,
42. जनपद हरिद्वार रुड़की पिरान कलियर व धनौरी व रुड़की तक लाईट लगाने का कार्य किये जाने,
43. जनपद हरिद्वार में कोर कालेज से पिरान कलियर व बेडपुर चोक तक लाईट लगाने का कार्य किये जाने,
44. विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर के मुर्कपुर से बेडपुर रोड से धनोरी की ओर नाला का निर्माण कार्य किये जाने,
45. पिरान कलियर नगर पंचायत में अन्य स्थानों पर जल निकासी का कार्य व नाला निर्माण कार्य किये जाने,
46. जनपद हरिद्वार में पिरान कलियर से बेडपुर चौराहे तक मेन रोड का चौड़ीकरण एवं डिवाईडर का निर्माण कार्य किये जाने,
47. विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर में बस स्टेन्ड का निर्माण कार्य किये जाने,
48. विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर में पार्किंग का निर्माण कार्य किये जाने,
49. विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर के रामपुर नगर पंचायत में सीवर लाईन निर्माण का कार्य,
50. विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर के ईमली खेड़ा नगर पंचायत में सीवर लाईन निर्माण का कार्य,
51. विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर के पाडली गुज्जर नगर पंचायत में सीवर लाईन का निर्माण कार्य,
52. विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर में स्वीकृत युनानी मेडिकल कॉलेज के लिए बजट जारी धरातल पर कार्य शुरु कराये जाने,
53. विधानसभा पिरान कलियर में दरगाह शरीफ का सौन्दर्यीकरण किये जाने।

13. श्री सुमित हृदयेश,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. हल्द्वानी को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिये तथा पर्यटन व रोजगार स्थापित हों इसके लिये पूर्व में स्व0 डा0 इन्दिरा हृदयेश जी द्वारा स्वीकृत अतंराज्यीय बस अडडे व अतंराष्ट्रीय स्तर के चिड़ियाघर का कार्य पुनः आरम्भ कराने साथ ही राष्ट्रीय, अतंराष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराने, जिससे कि यहां की युवा प्रतिभाओं को परोक्ष व अपरोक्ष रुप से आगे बढने का

मौका मिल सके तथा आयोजनों के माध्यम से रोजगार के अवसर दिये जाने,

2. स्मैक मुक्त हल्द्वानी पर युद्धस्तरीय कार्य किये जाने,
3. स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क जांच एवं बहुउद्देशीय कैम्प लगाये जाने।
4. नजुल नीति के क्रियान्वयन का सरलीकरण किये जाने, जिससे कि आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके,
5. सुशीला तिवारी अस्पताल को एम्स की तर्ज पर उच्चीकृत कराने तथा अस्पताल के समीप तीमारदारों व रोगियों के लिये विश्रामालय का निर्माण कराये जाने,
6. हल्द्वानी की यातायात व्यवस्था का सुव्यवस्थित करने के लिये तथा जाम से निजात पाने के लिये धरातलीय योजना का निर्माण कराये जाने,
7. तहसील परिसर में बहुउद्देशीय भवन, जिसमें तहसील, ट्रेजरी एवं अन्य सरकारी दफ्तरों की स्थापना तथा व्यवसायिक भवन व अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कराये जाने,
8. बाजार क्षेत्र में मातृ शक्ति एवं व्यापारियों की सुविधा के लिये अत्याधुनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित (हाईटैक) शौचालय एवं छोटी पार्किंगों की व्यवस्था कराये जाने,
9. बरसाती नाले से जान-माल की सुरक्षा हेतु उचित कार्य कराये जाने,
10. बेरोजगारों तथा कर्मचारियों/आउटसोर्स की लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने,
11. सभी सरकारी विद्यालयों व महाविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता के लिये विद्यालय भवनों का सुदृढ़ीकरण करने तथा रोजगारपरक शिक्षा प्रदान कराने महाविद्यालयों में कैम्पस इंटरव्यू के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने,
12. दमुवाढूंगा वासियों की भूमि का नियमित कर एवं श्रमिक एवं मलिन बस्तियों- काठगोदाम, राजेन्द्र नगर, आजाद नगर का मालिकाना हक एवं इन बस्तियों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र तथा विद्यालयों का उच्चीकरण कराये जाने,
13. भवननिर्माण की दरों को सस्ता करने के लिए गौला से निकलने वाले खनिज की रायल्टी को न्यूनतम दर तक लाने, जिससे कि गौला से जुड़े कारोबारियों को भी व्यवसाय करने में सुविधा मिल सके।

14. श्री विरेन्द्र कुमार,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. महंगाई कम करने हेतु डीजल, पेट्रोल पर तय कर कम किये जाने,
2. प्रदेश में स्थापित उद्योगों में स्थानीय लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार देना सुनिश्चित करने,
3. अनु0जाति/अनु0जनजाति/ओ0बी0सी0 की सरकारी सेवाओं में बैकलाग की पूर्ति सुनिश्चित करने,
4. सम्पूर्ण राज्य में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति किये जाने,
5. प्रदेश में पंजाबी, गढ़वाली, कुमाऊनी, उर्दू, संस्कृत इत्यादि भाषाओं की पृथक-पृथक एकेडमी का गठन किया जाने,
6. प्रदेश के सभी बेरोजगारों को यथाशीघ्र योग्यतानुसार रोजगार दिया जाने,
7. प्रदेश के सभी बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देना सुनिश्चित करने,
8. प्रदेश के कैंसर से ग्रस्त सभी मरीजों का राज्य सरकार द्वारा मुफ्त ईलाज किये जाने,
9. झबरेड़ा विधान सभा में सुचारू विद्युत वितरण हेतु बिजली घरों का आधुनिक रूप से उच्चीकरण किये जाने,
10. झबरेड़ा विधान सभा में गरीब बच्चों हेतु उच्चीकृत आवासीय विद्यालय बनाये जाने,
11. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र कृष्णानगर में जल निकासी सुनिश्चित किये जाने,
12. झबरेड़ा विधान सभा में गन्ना शोध केन्द्र बनाया जाना सुनिश्चित किये जाने,
13. गन्ना किसानों के बकाया भुगतान दिलवाने सुनिश्चित किये जाने,
14. इकबालपुर फाटक पर ओवरब्रिज बनवाना सुनिश्चित किये जाने,
15. प्रदेश के किसानों को यूरिया व अन्य उर्वरक सामाग्री प्रदान किये जाने,
16. इकबालपुर से खेताखेडी कमेलपुर रुड़की मार्ग का चौड़ीकरण व नव निर्माण कराये जाने,

17. झबरेड़ा विधान सभा में रोडवेज बसों का संचालन सुचारू किये जाने,
18. झबरेड़ा विधान सभा के कस्बा झबरेड़ा में मिनी स्टेडियम व पन्याला में मिनी स्टेडियम बनाये जाने,
19. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत झबरेड़ा में रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने,
20. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बन्दरों के प्रकोप से जनता को हो रही परेशानियों के लिए उपाय किये जाने,
21. प्रदेश के वनों में आग लगने से रोकने हेतु प्रभावी एवं ठोस कदम उठाये जाने,
22. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत अस्पतालों का उच्चीकरण किये जाने,
23. विधान सभा झबरेड़ा में राजकीय तकनीकी महाविद्यालय बनवाये जाने,
24. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को पूर्ण कराये जाने,
25. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में व्यायामशाला खुलवाये जाने,
26. झबरेड़ा विधान सभा की सभी खराब मोटर मार्गों का डामरीकरण एवं नवीनीकरण करवाये जाने,
27. झबरेडा विधान सभ ग्राम सालियर में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापना कराया जाना,
28. झबरेडा विधान सभा ग्राम भगतोवाली के निकट मानकपुर चौराहा झबरेडा में बाबा साहेब डा0 बी0आर0 अम्बेडकर जी की विशालकाय प्रतिमा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत लगाया जाना,
29. झबरेडा विधान सभा के अन्तर्गत राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना कराया जाना,
30. झबरेडा विधान सभा में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत घोषित ग्राम लखनौता में तहसील की स्थापना की जायेगी,

31. उत्तराखण्ड प्रदेश में पर्वतीय व मैदानी जिलों में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी में समानता करना,

32. झबरेडा विधान सभा के अन्तर्गत गौवंश संरक्षण के लिए गउशाला खोले जाने की व्यवस्था किये जाने।

15. इंजी0 रवि बहादुर,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधान सभा में कोई भी सरकारी बैंक नहीं है सरकारी बैंकों को खोले जाने,
2. ज्वालापुर विधाव सभा में सरकारी डिग्री कालेज का निमार्ण किये जाने,
3. ज्वालापुर विधान सभा के समस्त क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य किये जाने,
4. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के नदियों में होने वाले कटान को रोकने के लिए तटबन्ध का निर्माण कार्य किये जाने,
5. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के क्षतिग्रस्त भवनों का निर्माण कार्य किया जाय एवं नए स्कूल खोले जाय, सैकेण्ड्री प्राइमरी स्कूलों का उच्चीकरण किये जाने,
6. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पानी की टंकियों को निर्माण किये जाने,
7. ज्वालापुर विधान सभा में अधिकतम आबादी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से लगते हुए गांवों में सोलर लाईट की व्यवस्था किये जाने,
8. ज्वालापुर विधान सभा के समस्त क्षेत्र में जल निकासी के लिए नालों का निर्माण किये जाने,
9. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के किसानों और मजदूरों को 1977 में श्रेणी तीन के पट्टे आवंटित हुए थे जिसको संकरमणी किए जाने,
10 ज्वालापुर विधान सभा में जल जीवन मिशन द्वारा पानी की लाइन डालते हुए सभी मार्ग टूट चुके है, उनकी मरम्मत की जाय,

11 ज्वालापुर विधान सभा में परिवहन निगम द्वारा समस्त विधान सभा में बसे चलाये जाने,

12 ज्वालापुर विधान सभा में जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसल नष्ट हो रही है उसमें किसानों की खेतों में फैंसिंग इलेक्ट्रिसिटी कराये जाने,

13 ज्वालापुर विधान सभा के गॉव हद्दीवाला में सावित्री बाई फुले चौक का निर्माण किये जाने,

14 ज्वालापुर विधान सभा के गॉव तेलपुरा में चौक पर महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना,

15 ज्वालापुर विधान सभा के गॉव पितपुर में चौक में अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना,

16 ज्वालापुर विधान सभा के गॉव खेडी शिकोहपुर में अब्दुल कलाम की मूर्ति स्थापना,

17 ज्वालापुर विधान सभा के गॉव रोहालकी में चौक पर महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना,

18 ज्वालापुर विधान सभा के प्रत्येक गॉव में बच्चों के खेलने के लिए एक मिनी स्टेडियम बनाया जाय,

19 ज्वालापुर विधान सभा के गॉव गढ्मीरपुर, गॉव जसवावाला, तेलीवाला, सहदेवपुर, नगलापुर, खेडी शिकोहपुर, इब्राहिमपुर में रिंग रोड बनवाया जाय।

17. मौ0 शहजाद,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. ग्राम लादपुर-शिकारपुर के क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण का उल्लेख नहीं है,
2. आपदा सेसोनाली नदी के टूटे तटबन्धों के मरम्मत का उल्लेख नहीं है,

3. सोनाली नदी की सफाई-खुदाई का उल्लेख नहीं है,
4. पथरी नदी की सफाई-खुदाई का उल्लेख नहीं है,
5. हडवाहे नदी की सफाई-खुदाई का उल्लेख नहीं है,
6. आपदाग्रस्त दैनिक मजदूरों को आर्थिक सहायता दिये जाने का उल्लेख नहीं है,
7. आपदाग्रस्त किसानों के बिजली बिल व अन्य ऋण माफ किए जाने का उल्लेख नहीं है,
8. आपदाग्रस्त क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निमाण का उल्लेख नहीं है,
9. मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा औचित्यपूर्ण मांगे गये 10 कार्य का उल्लेख नहीं है,
10. ग्राम नेहन्दपुर में मिनी स्टेडियम बनाये जाने का उल्लेख नहीं है,
11. ग्राम बहादरपुर के पास रेल्वे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने का उल्लेख नहीं है,
12. नगर पंचायत सुल्तानपुर में कन्या इण्टर कालेज खोले जाने का उल्लेख नहीं है,
13. नगर पंचायत सुल्तानपुर में सरकारी चिकित्सालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है,
14. नगर पंचायत सुल्तानपुर में सरकारी पशुचिकित्सालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है,
15. नगर पंचायत सुल्तानपुर में बाई पास का उल्लेख नहीं है,
16. ग्राम भिक्कमपुर में डिग्री कालेज खोले जाने का उल्लेख नहीं है,
17. ग्राम खडन्जा कुतुबपुर में इण्टर कालेज खोले जाने का उल्लेख नहीं है,

18. ग्राम रामपुररायघटी में कन्या इण्टर कालेज खोले जाने का उल्लेख नहीं है,

19. ग्राम लालपुर-जैनपुर में इण्टर कालेज खोले जाने का उल्लेख नहीं है,

20. लक्सर में ट्रामा सेन्टर खोले जाने का उल्लेख नहीं है,

21. अनुसूचित उपयोजना एस0सी0पी0 में चयनित ग्रामों के विकास का उल्लेख नहीं है,

22. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास का उल्लेख नहीं है,

23. खनन प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मार्गो के पुनर्निमाण का उल्लेख नहीं है,

24. ग्राम रणजीतपुर में डूब क्षेत्र में तब्दील हो रही कृषि भूमि की सुरक्षा का उल्लेख नहीं है,

25. गंगा नदी से कृषि भूमि में आये जल की निकासी हेतु चैनल गेट लगाये जाने का उल्लेख नहीं है।

18. श्री संजय डोभाल,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. हनुमान चट्टी से निसणी तक सड़क निर्माण स्वीकृत किये जाने,
2. गढ़वाल गाढ़ से कोट तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
3. ग्राम सभा नन्दगांव से हरिजनबस्ती होते हुए धार तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
4. विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में मुख्य रोड से गोरूड़ गांव तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
5. ग्राम सभा भक्साड़ी रोड से गुर्मसु तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
6. ग्राम सभा कुर्सिल से फूलधार तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
7. विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में मुख्य रोड से धारकोट बट्टा तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
8. कुपड़ा रोड से त्रिखली गांव तक सड़क स्वीकृत किये जाने,

9. विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ मुख्य रोड से बड़ेथी बन चौरा मोटर मार्ग से मोरगी गांव तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
10. पोण्टी मोल्दा रोड से ग्राम सभा पोण्टी तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
11. राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम सभा बाडिया तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
12. ग्राम पाली में रूददी खड्ड से जूनियर हाईस्कूल तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
13. विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के पुजारगांव बगोड़ी तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
14. राजकीय इण्टर कालेज कुथनौर में इण्टरमीडिएट स्तर पर विज्ञान वर्ग के पद स्वीकृत किये जाने,
15. जनपद उत्तराकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र बड़कोट एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिन्यालीसौड़ में महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति किये जाने,
16. जनपदउत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के सरूताल, सतुड़ीबाकरीताल, भुजेलाकुण्ड का बुग्याल, फाचकण्डी बुग्याल टिहरी बांध परियोजना के निकटवर्ती क्षेत्र का `पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने,
17. चार धाम यात्रा के दौरान यात्रा को सुरक्षित करने श्रद्धालुओं के सभीत रह की व्यवस्था उपलब्ध कराने और प्रदेश की आर्थिकी बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने,
18. जो जल श्रोत सूख चुके हैं उनको रीचार्ज करने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने,
19. आपदा के दौरान जिनकी परिसंपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको उचित मुआवजा दिये जाने,

20. प्रदेश में कृषि उपज को बढ़ाये जाने एवं किसानों की आय को दोगुना किये जाने हेतु नई कृषि नीति बनाये जाने,
21. जनपद उत्तरकाशी विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों को पुनः निर्माण किये जाने,
22. विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में मुख्य रोड सेनेरीदिकोली तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
23. विकास खण्ड डुण्डा के ब्रह्मखाल में उप तहसील की स्थापना किये जाने,

19. श्री उमेश कुमार,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1 प्रदेश में कार्यरत राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल किये जाने,
2 हरिद्वार में बनाये जा रहे कारिडोर पर तत्काल रोक लगाते हुए डी0पी0आर बनाते समय जनप्रतिनिधियों व व्यपारियों की राय लिये जाने,
3 ढंडेरा, लंढौरा, मिलापनगर व मोहनपुरा मे पानी की निकासी का समाधान किये जाने,
4 पुलिस कार्मिको के पौश्टिक आहार भत्ते के मूल्य में वृद्धि की जाये।
5 दुर्गा कालोनी, भगेड़ी, जलालपुर आदि में लगभग 30000 की आबादी आर्मी का गेट होने व समय पर न खुलने से दिन रात प्रभावित रहती है। तत्काल रास्ता खुलवाये जाने,
6 किसान आयोग का गठन किये जाने,
7 किसानों के गन्ने के मूल्य में 500 रूपये प्रति कुन्तल की वृद्धि किये जाने,
8 उत्तर-प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखण्ड के किसानों को बिजली मुफ्त दिये जाने,
9 आपदा में हुए नुकसान से किसानों के फरवरी से दिसंबर तक के बिजली के बिल माफ किये जाने,
10 बहादरपुर खादर के रेलवे क्रांसिग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने,
11 खानपुर विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों का उच्चीकरण किये जाने,
12 खानपुर विधानसभा क्षेत्र के खानपुर से दल्लावाला मार्ग का चौडीकरण एंव सुदृढीकरण किये जाने,

13 इकबालपुर शुगर मिल के किसानों का गन्ने का पूराना बकाया भुगतान शीघ्र किये जाने,

14 प्रदेश के जनपद हरिद्वार में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किये जाने,

15 उपनल कर्मचारियों को समान कार्य एंव समान वेतन व नियमितीकरण किये जाने,

16 आंगनबाडी कार्यकर्ती/सेविका/मिनी कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी किये जाने,

17 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लक्सर में सभी विषय के अध्ययन को जोड़े जाने,

18 जनपद हरिद्वार के समस्त ब्लाकों में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुष लगाने के लिए वर्ष 2017 से आतिथि तक जिलाधिकारी हरिद्वार की निगरानी में समिति गठित कर जांच किये जाने,

19 राज्य में विधवा/वृद्धा/दिव्यांग पेंशन की प्रतिमाह आय को 1500 रूपये से बढ़ाकर 5000 रूपये प्रतिमाह कर दिये जाने,

20 खानपुर विधानसभा क्षेत्र में रविदास मंदिर एंव वाल्मीकि मंदिर का सौन्दर्यकरण किये जाने,

21 खानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्ग में पुनः निर्माण कार्य किये जाने,

22 पत्रकारों की आर्थिक सुरक्षा के लिये आवास व कोई बीमा योजना शुरू किये जाने,

23 भेषज विकास इकाई, उद्यान विभाग का पुनर्गठन एवं सेवा नियमावली बनाये जाने,

24 टिहरी विस्थापितों के बिजली के बिल माफ किये जाने,

25 ढंढरा में हाई स्कूल को इण्टरमीडियट किये जाने।